Website : www.akhilbharathindumahasabha.org
E-mail : editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org

प्रत्येक बुधवार को प्रकाशित

प्रति अंक मूल्य 4 रुपये

अखिल भारत
हिन्दू महासभा का मुखपत्र

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

वर्ष- 42 अंक-45
कल्पादि सम्वत् 1972949118

सम्पादक
मुन्ना कुमार शर्मा

दिनांक 23 जनवरी से 29 जनवरी 2019 तक
माघ कृष्ण तृतीया से माघ कृष्ण नवमी 2075 तक

वार्षिक शुल्क 150 रुपये
पृष्ठ संख्या 12

दान से धन एवं मन.... पृष्ठ- 2

हल्दी के लाभ... पृष्ठ- 4

पौधों में जल का... पृष्ठ- 5

लाला लाजपत राय जयंती.. पृष्ठ- 8

आर्थिक आरक्षण.... पृष्ठ- 12

- हिन्दुओं के बाहुल्य पर धर्म संकट
- किसानों और मध्यम वर्ग को चुनाव से पहले खुश करने की कोशिश में मोदी सरकार
- अयोध्या पर कहीं टूट ना जाए धैर्य का बांध
- अदालतों का पदक्रम
- संयुक्त परिवार में हो रहा विघटन, बिखराव

सुरक्षाबलों ने मार गिराया खूंखार आतंकी जीनत-उल-इस्लाम

जम्मू–कश्मीर से हो आंतकवाद का पूर्ण सफाया–हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए। इनमें से एक खूंखार आतंकी जीनत–उल–इस्लाम भी शामिल है। जीनत–उल–इस्लाम आतंकी संगठन अल बद्र संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, हालांकि, अभी दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हुई है। यह पहले आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन के साथ भी जुड़ा हुआ था। मुठभेड़ स्थल से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद शेष पृष्ठ 10 पर

कुंभ मेले में १२ करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद

कुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक–हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

कुंभ मेले में इस बार दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज को वायु मार्ग के माध्यम से देश के कई मुख्य शहरों बेंगलुरू, इंदौर, नागपुर, पटना आदि से जोड़ा गया है। एक हेलीपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर की सवारी की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में १५ जनवरी से चल रहे प्रयागराज कुंभ मेला २०१६ में १२ करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इस साल मेले में १२ करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। वहीं मौनी अमावस्या पर तीन करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा प्रतिदिन करीब २० लाख तीर्थयात्रियों के साथ–साथ करीब १० लाख विदेशी पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा, यह कुंभ देश के चार स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम अपने आप में देश और दुनिया के लि आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र है। यूनेस्को ने कुंभ को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया है। मंत्री ने कहा कि ४५० वर्षो के बाद पहली बार भक्तों को **अक्षय वट** और **सरस्वती कूप** में प्रार्थना करने का अवसर मिलेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रयागराज कुंभ मेला शेष पृष्ठ 11 पर

दान से धन एवं मन की शुद्धि

✍ श्री रामचन्द्र केशव डोंगरे जी

कलियुग में दान प्रधान है। श्रुति में निर्देश है कि जो सिर्फ अपने लिए पका कर खाता है, वह अन्न नहीं खाता, पाप पका कर खाता है– **केवलाघो भवति केवलादी।**

कलियुग में धर्म केवल एक पैर अर्थात् दान के ऊपर टिका हुआ है। ईमानदारी, परिश्रम तथा धर्मानुसार अर्जित धन–समत्ति का दान ही पुण्य दायक होता है। उनका सत्कर्मों के लिए उपयोग तो किया जा सकता है, परन्तु सांसारिक सुख–सुविधाओं के लिए–व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका उपभोग नहीं कया जाना चाहिए।

❖ अर्थ अमृत है, पर असावधानी से वह जहर भी बन जाता है। जो नीति से आये और जिसका उपयोग रीति से हो, वह अर्थ अमृत है, पर अनीति से अर्जित धन जहर बन जाता है।।

❖ यदि धर्म की मर्यादा न रहे तो धन अनर्थ करता है। धन साधन है, धर्म साध्य है।

❖ धन कमाना कठिन नहीं है, उसका धर्म–कार्यों – सेवा, सहायता, दान आदि में सदुपयोग करना कठिन है। धन का धार्मिक कर्तव्यों दान, सेवा, गौ सेवा, जैसे सत्कर्मों में सदुपयोग हो तो वह सुख देता है और विलासिता आदि दुष्कर्मों में उपभोग करने पर तरह–तरह के दुःख देता है।

❖ ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। अन्न दान और वस्त्र दान से कुछ समय के लिए शांति प्राप्त होती है, किन्तु ज्ञान दान अर्थात् जहाँ अध्यातम ज्ञान का दान होता है वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं।

❖ दान देने का अधिकार गृहस्थ को दिया गया है। दान में विवेक रखो। इतना दान दो कि गृहस्थ की आवश्यकता की पूर्ति में बाधा न पड़े।

❖ दान से धन को शुद्धि, स्नान से तन की शुद्धि तथा ध्यान से मन की शुद्धि होती है।

❖ जिसका धन शुद्ध नहीं, उसका दान तथा उसकी सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

❖ यदि सत्कर्मों में, धर्म में सम्पत्ति का सदुपयोग करोगे तो लक्ष्मी माता तुम्हें नारायण की गोद में बिठायेंगी।

❖ धन का दान करते रहने से धन के प्रति ममता कम होती है तथा तन से सेवा करने से देहाभिमान में कमी आती है।

❖ दान देते समय जब तुम लेने वाले को परमात्मा का रूप समझकर दान दो तभी दान सफल–सार्थक होगा।

❖ आंगन में आये याचक को यदि कुछ नहीं मिलता है तो वह घर का पुण्य ले जाता है।

❖ *याचक मांगने नहीं आता, वह तो हम को ज्ञान देने आता है कि पूर्व* जन्म में मैंने किसी को कुछ दिया नहीं, इसलिए मैं भिखारी हुआ हूं। यदि आप भी किसी को कुछ न देंगे तो अगले जन्म में मेरे जैसे याचक बनेंगे।

सुख करनी दुःख हरनी गाय देती है अनेको वरदान!

जिस प्लाट पर मकान, भवन, घर का निर्माण करना हो यदि वहां पर गौ–वत्स 'बछड़ा सहित गाय' को लेकर बांध दिया जाए यानी रख दिया जाए तो वहां संभावित वास्तु दोषों का स्वतः निवारण हो जाता हैं और भवन–निर्माण कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाता है। समापन एक आर्थिक या अन्य प्रकार की बाधएं नहीं आती हैं। गाय के प्रति भारतीय आस्था को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। गौ–सेवा, गौ पालन को एक कर्तव्य के रूप में माना गया हैं समस्त प्राणी पास में बंधे होने से पश ही हैं और उनके स्वामी पशुपति नाथ हैं, समस्त पशु 'प्राणी' भूत हैं जिनके नाम भूनाथ हैं। पशु रूपी गाय समस्त सृष्टि की हैं और गाय सृष्टि की संरक्षक भी हैं। सभी भूतों 'प्राणियों' की वह माता है और सभी को सुख प्रदान करने वाली है। सभी दोषो की हरण करती हैं।

गाय के रूप में पृथ्वी की करूण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसं बहत प्रसिद्ध हैं। मालव

शेष पृष्ठ 11 पर

साप्ताहिक राशिफल

मेष : इस सप्ताह आपको अनुशासित होकर कार्य करना पड़ेगा। अधिक भागदौड़ की वजह से आप तनावग्रस्त व संशय में रह सकते हैं। कार्य में दबाव का बोझ बढ़ेगा। सहयोगियों के अनिर्णय के चलते कार्य लम्बित रहेंगे। ऐसी स्थिति में धैर्य व आत्मबल ढाल का काम करेंगे।

वृष : इस सप्ताह आप–अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र करके किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से संतोषजनक सफलता प्राप्त होगी। साथ ही शक्तियां और अधिक विकसित होंगी। व्यस्त व्यक्ति को अफसोस करने का समय नहीं मिलता है, वह प्रत्येक कार्य को उत्साह और समर्पण भाव से करता है।

मिथुन : इस सप्ताह आपके रूके हुये कार्यों में प्रगति होने के आसार है। कुछ कर्तव्यों का भार बढ़ने की सम्भावना है, इसलिए उससे विचलित होकर मुंह न मोड़ें। पति–पत्नी दोनों के सहयोग से पारिवारिक स्थितियों में अनुकूलता आयेगी।

कर्क : इस सप्ताह पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए किसी अपने का सहयोग लेना पड़ सकता है। परिक्षा की अग्नि में तपकर ही आप शक्तिशाली, सौन्दर्युक्त और उपयोगी बन सकते हैं। धन आयेगा किन्तु उतनी ही तेजी से उसके व्यय होने के आसार हैं। यह आपके लिए चुनौती का विषय है, उनसे घबरायें नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करें।

सिंह : इस सप्ताह घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा जिससे मानसिक व शारीरिक थकान महसूस होगी। पितृ पक्ष से मधुरतम सम्बन्ध बनेंगे। अर्थ से सम्बन्धित किये गये प्रयास सफल होंगे। योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए यह समय अनुकूल है।

कन्या : इस सप्ताह आप किसी को भी झूठे आश्वासन न दें, ये आदत त्याग देने पर जीवन में बहुत लाभ होगा। एक बार आप लोगों की नजर से उतर गये तो समझों बरसों लग जायेंगे इज्जत बनाने में। दिल से बल्कि दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है, वरना ठगे जायेंगे।

तुला : इस सप्ताह आप लोगों का विश्वास जीतने में सफल होंगे। साथ ही सभी तरह के शोर व कोलाहल से दूर रहने की कोशिश भी करेंगे। कुछ ऐसी गलतियों का अहसास भी होगा, जिनको आप नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं।

वृश्चिक : इस सप्ताह आप किसी के लालच में आ सकते हैं और वह आपका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, अतः सावधानी अपेक्षित है। अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क व सचेत रहने की आवश्यकता है।

धनु : कुछ लोगों को व्यावसायिक अनुबन्ध करने से पूर्व जाँच–परख अवश्य लें अन्यथा बाद में हानि होने के संकेत नजर आ रहे है। पिता व पुत्र में कुछ बातों को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और खुश रहें।

मकर : इस सप्ताह कुछ लोगों को अपनी प्रासंगिता बनायें रखने की आवश्यकता है। जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की एक किरण ही काफी है। योजानायें बनाने से कार्य नहीं चलेगा उस पर अमल भी करना पड़ेगा।

कुम्भ : इस सप्ताह कुछ लोग अपने जीवन में निरन्तर संघर्ष करने से दुःखी हो रहे है, परन्तु संघर्ष ही सफलता का पर्याय है। नवयुवक अपने प्यार की सीमा को निर्धारित करें तभी आप–अपने लक्ष्य का भेदन कर सकते है। व्यर्थ के तर्क–वितर्क में न पड़े अन्यथा तनाव हो सकता है।

मीन : इस सप्ताह समय की अनुरूपता को पहचानने का प्रयास करें। आप इन दिनों काफी उँचे ख्यालों में खोये रहेंगे तथा कुछ कल्पनायें आपके मन को व्यथित कर सकती है। आप–अपनी सन्तान के विवाह को लेकर काफी चिन्तित रहेंगे।

पं० दीनानाथ तिवारी

श्रीरामचरितमानस

मज्जन फल पेखिअ ततकाला। काक होहिं पिक बकउ मराला।।
सुनि आचरज करै जनि कोई। सतसंगति महिमा नहिं गोई।।

इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।।१।।

बालमीक नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी।।
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना।।

वाल्मीकि जी, नारदजी और अगस्त्यजी ने अपने–अपने मुखों से अपनी होनी (जीवन का वृत्तान्त) कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़–चेतन जितने जीव इस जगत् में हैं, ।।२।।

मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई।।
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ।।

उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति (ऐश्वर्य) और भलाई पायी है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिये। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है।।३।।

बिनु सत्संग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।।
सतसंगत मुद मंगल मूला। सोद फल सिधि सब साधन फूला।।

सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामजी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनन्द और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि (प्राप्ति) ही फल है और सब साधन तो फूल हैं।।४।।

साप्ताहिक
हिन्दू सभा
वार्ता
दिनांक 23 जनवरी से 29 जनवरी 2019 तक

अध्यक्षीय

अयोध्या पर कहीं टूट ना जाए धैर्य का बांध

जिस तरह से उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मसले पर सुनवाई टल रही है उससे इस बात की पूरी संभावना है कि राम भक्तों का धैर्य टूट सकता है। अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर टलने से लोगों का निराश होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई एक बार फिर टलना इस मामले के पक्षकारों के साथ ही उन करोड़ों लोगों के लिए निराशाजनक है, जो सदियों पुराने इस मसले के जल्द समाधान की प्रतीक्षा में हैं। इस बार सुनवाई इसलिए टली, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने पांच सदस्यीय पीठ में न्यायाधीश यूयू ललित के शामिल होने को लेकर यह रेखांकित किया कि एक वकील की हैसियत से वह तब कल्याण सिंह की पैरवी कर चुके हैं, जब उन्हें अयोध्या ढांचा ढहने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ा था। यह सही है कि राजीव धवन ने उन्हें पीठ से हटाने की मांग नहीं की, किंतु उनकी ओर से १९९४ के इस मामले का जिक्र जिस तरह किया गया, वह कुल मिलाकर एक सवाल की ही शक्ल में उभरा। पता नहीं उनका मकसद क्या था, लेकिन प्रकट यही हो रहा कि अयोध्या विवाद की सुनवाई को लंबा खींचने की कोशिश हो रही है। इसी कोशिश के तहत पहले यह दलील दी गई कि इस मामले की सुनवाई आम चुनाव के बाद होनी चाहिए। इसके बाद यह कहा गया कि पहले १९९४ के उस मामले पर पुनर्विचार हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न् हिस्सा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने का फैसला किया तो यह मांग की गई कि इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करे। यह मांग मंजूर नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि मस्जिद में नमाज वाले मसले का अयोध्या मामले से कोई लेना–देना नहीं। इस नतीजे पर पहुंचने में समय लगा और जब अयोध्या मामले की सुनवाई की बारी आई, तब तक तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का समय करीब आ गया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नए प्रधान न्यायाधीश की ओर से नई पीठ गठित करने की कवायद शुरू हुई। इस क्रम में पहले यह सूचना दी गई कि नई पीठ ही यह तय करेगी कि मामले की सुनवाई कब होगी। फिर यह कि नई पीठ पांच सदस्यीय होगी। इसी के साथ एक और तारीख मिली। न्यायाधीश यूयू ललित की ओर से खुद को सुनवाई से अलग करने के बाद एक और तारीख मिली है। निःसंदेह यह एक तर्क है कि सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है, लेकिन क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि बीते नवंबर से तारीख–पर–तारीख का ही सिलसिला कायम है। कहना कठिन है कि २६ जनवरी को क्या होगा, लेकिन इतना तो है ही कि न्यायिक प्रक्रिया को केवल गतिशील होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह समझे कि अयोध्या मामले की सुनवाई में देरी लोगों को अधीर कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मसले पर फैसला सुनाए हुए नौ साल बीत चुके हैं। क्या इसकी कोई न्यायसंगत व्याख्या हो सकती है कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का काम क्यों नहीं किया जा सका? कम से कम अब यह सुनिश्चित किया जाए कि इस मामले की सुनवाई में और देरी न हो। खासकर सुप्रीम कोर्ट को जन भावना को देखते हुए समझना होगा कि लोगों की आस्था की परीक्षा लेने के लिए समय को महत्व देना होगा।

राष्ट्रीय उद्बोधन
चन्द्र प्रकाश कौशिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष

E-mail : chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org

सम्पादकीय

किसानों और मध्यम वर्ग को चुनाव से पहले खुश करने की कोशिश में मोदी सरकार

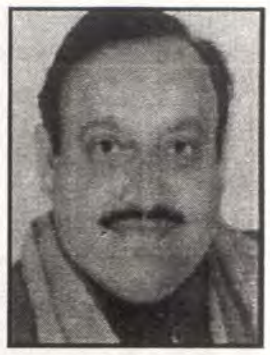

अब लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है। साल २०१८ के दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद केंद्र सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने के साथ–साथ कुछ फैसले लिए हैं। विधानसभा चुनावों में मिली हार और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों, छोटे व्यावसायियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का दिल जीतने के लिए कई फैसले किए हैं। इन फैसलों से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के चलते आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल मोदी सरकार सकल घरेलू उत्पाद के ३.३ प्रतिशत के वित्तीय घाटे के एक दशक के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने मई में संभावित आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और भी वादे किए हैं। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए किए जा रहे फैसलों पर संसद में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि यह विकास और बदलाव के लिए हैं। उन्होंने कहा था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह फैसला जनता करेगी। हम आगामी चुनावों के मुद्देनजर इसके लिए आश्वस्त है कि देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पूर्ण बहुमत देगी। अनुसार भारतीय सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक इस हफ्ते ३०० से ४०० बिलियन रुपए का डिविडेंड भारत सरकार को मार्च तक सौंप सकता है ताकि वह आगामी चुनावी खर्चों के मद्देनजर राजकोषीय घाटा पूरा कर लिया गया है । सरकार ने १० जनवरी को राष्ट्रीय बिक्री कर नियमों में बदलाव की घोषणा की जो अतिरिक्त दो मिलियन छोटे व्यवसायों को छूट देगा। ४० लाख तक वार्षिक बिक्री वाले व्यवसायों को माल और सेवा कर जीएसटी से छूट दी जाएगी. वर्तमान में २० लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली फर्मों को छूट दी गई है। यह बदलाव अप्रैल में लागू होगा। तीन सरकारी सूत्रों की मानें तो पीएम मोदी ३० हजार करोड़ रुपये की लागत से किसानों की मदद के लिए राहत पैकेज के तीन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। संभावना है कि सभी जमींदार किसानों, सरकारी कीमतों से नीचे उपज बेचने वालों के लिए मुआवजे और ऋण माफी कार्यक्रम के लिए सीधा भुगतान किया जाएगा। संसद ने सरकारी नौकरियों में १० प्रतिशत का एक ऐतिहासिक बिल पास किया। संविधान में संशोधन के बाद सरकारी नौकिरयों में हर धर्म के सामान्य वर्ग को नौकरी और शिक्षा में १० फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। २८ दिसंबर को सरकार ने प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के बाद प्याज किसानों के लिए निर्यात प्रोत्साहन को १० प्रतिशत तक बढ़ा दिया। निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम किसानों को सरकार से ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग विभिन्न करों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि वह एमोजोन और वालमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट जैसी ई–कॉमर्स कंपनियों को उन कंपनियों के उत्पादों को बेचने से रोक देगी, जिनमें उनकी इक्विटी इंटरेस्ट है। यह नियम १ फरवरी से लागू होगा। खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की शिकायतों के बाद यह नियम बदले जा रहे हैं, जिनका कहना है कि बड़ी कंपनियां अपने सहयोगियों से इन्वेंट्री पर नियंत्रण का उपयोग कर रही हैं, और बिक्री समझौतों के जरिए कम कीमत पर वस्तु की बिक्री कर रहे हैं। सरकार ने टेलीविजन, बैटरी और मूवी टिकट सहित २० से अधिक वस्तुओं पर बिक्री कर की दर को घटा दिया – जिसका उद्देश्य व्यापारियों और मध्यम वर्ग को खुश करना था। कहीं न कहीं से यह सारी योजनाएं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही लाई गई हैं। अब चुनाव में जनता इसे किस दृष्टिकोण से लेती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

राष्ट्रीय आह्वान
मुन्ना कुमार शर्मा
राष्ट्रीय महासचिव

E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org

हल्दी के लाभ

✍ डॉ. ए. के. चतुर्वेदी

प्रकृति में अपार सम्पदाएँ विद्यमान हैं। इसीलिए प्रकृति को असीमित भंडारण कहते हैं। प्रकृति में विभिन्न मौसम होते हैं। इन मौसमों की विभिन्न आवश्यकताएँ होती हैं। इनकी पूर्ति प्रकृति की करती है। विभिन्न सम्पदाओं में विभिन्न गुण पाये जाते हैं। सम्पदाओं के गुण बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। सम्पदाओं का उपयोग विकास, वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में किया जाता है। कुछ सम्प्रदाओं का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। हल्दी ऐसी ही सम्पदा है। हल्दी में औषधीय गुण विद्यमान हैं। हल्दी का उपयोग स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए किया जाता रहा है।

भारत में हल्दी का उपयोग वैदिक काल से होता आ रहा है। प्रत्येक मांगलिक कार्य हल्दी के उपयोग के बिना सम्भव नहीं होता। इतना ही नहीं, हल्दी की उपयोगिता औषधीय गुणों के कारण भी है। हल्दी का उपयोग दैनिक जीवन में दाल, साग, सब्जी में किया जाता है।

हल्दी का वानस्पतिक नाम कुरकुमा लोमाएल है। इसकी आकृति अदरक जैसी होती है। इस कारण हल्दी का आनुवांशिक नाम जिन्जीबेरासियर है। हल्दी पीले रंग की गाँठ होती है। हल्दी की गाँठ जड़ें हैं, जो पृथ्वी के अन्दर पायी जाती हैं। हल्दी का पौधा तीन फीट लम्बा होता है। इसका फल भी पीले रंग का होता है। हल्दी का उत्पादन गर्म और आद्रतापूर्ण वातावरण में होता है। असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु में मुख्य रूप से उगायी जाती है।

हल्दी के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि हल्दी में कार्बोहाइड्रेट १२ प्रतिशत, प्रोटीन २.५ प्रतिशत,

रेशा २.५ प्रतिशत, वसा १ प्रतिशत, लवण १ प्रतिशत (फास्फोरस.४, कैल्शियम .२, मैग्नीशियम .२, लौह .२ प्रतिशत), करक्यूमिन १ प्रतिशत, आद्रता ८० प्रतिशत पायी जाती है। १०० ग्राम हल्दी ३८४ कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। कुरक्यूमिन की उपस्थिति के कारण ही हल्दी औषधीय गुण प्रदर्शित करती है।

आयुर्वेद तो हल्दी को औषधि मानता है। हल्दी का उपयोग दर्द निवारण और सूजन को कम करने में किया जाता है। सर्दी होने पर गर्म दूध में कालीमिर्च, शक्कर के साथ एक छोटा चम्मच कच्ची हल्दी पाउडर मिलाकर लेने से लाभ पहुँचता है। पेट में कीड़े होने से दर्द होने पर कच्ची हल्दी के रस का सेवन करने से लाभ होता है। अजीर्ण, मंदाग्नि रोग में भी हल्दी सेवन लाभकारी होता है। हल्दी के सेवन से उपापचय क्रियाओं की गति बढ़ जाती है। जिससे पाचन क्रिया सरल हो जाती है। मधुमेह रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हल्दी को ऑवला के साथ खाली पेट लेने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हल्दी के सेवन से रक्त का जमना समाप्त हो जाता है। रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। कुरक्यूमिन की उपस्थिति से पेलटोनेट को एकत्रित नहीं होने देती रक्त संचार नियमित रूप से चलता है। हृदय रोग नहीं हो पाता है। शराब के लगातार सेवन से यकृत के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। हल्दी पाउडर को घी के साथ लेने से यकृत की कोशिकाओं को जीवन मिल जाता है। चोट लगने पर विशेषकर अन्दरूनी या मांसपेशियों के चोटिल होने पर दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। हल्दी पाउडर का उपयोग मोटापे को दूर करने में भी लाभकारी है। सुबह एक गिलास गर्म पानी में एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेने से कोलेस्ट्रोल की मात्रा कम हो जाती है। जिससे मोटापा कम हो जाता है। त्रिचुर के एमाला कैंसर अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने पाया कि करक्यूमिन के कारण कोलेस्ट्रोल की मात्रा कम हो जाती है।

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी. डी. आर. आई.) लखनऊ के वैज्ञानिक हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन के कारण वसा कोशिकाओं की संख्या व आकार को नियन्त्रित करते हैं। साथ ही कोलेस्ट्रोल को बाहर करने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इससे हल्दी मोटापा कम करने में सहायक होती है। वैज्ञानिकों ने करक्यूमिन में कुछ बदलाव कर ऐसा मोलीक्यूल (सीडीपीपी) तैयार किया जो शरीर में अच्छी तरह शोषित होकर कोलेस्ट्रोल को नियन्त्रित करता है।

धूप में निकलने वाली सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं। इस लोशन में उपस्थित रसायनों से नये खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इन खतरों से बचने के लिए डी. एन. ए. से सनस्क्रीन लोशन बनाने का तरीका खोजा है। अमेरिका की विघटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जॉय जर्मन ने कहा कि पराबैंगनी किरणें डीएनए को क्षतिग्रस्त करने में सक्षम होती हैं, जो त्वचा के लिए सही नहीं होता। इससे बचने के लिए त्वचा पर डीएनए की पर्त चढ़ानी होती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें बाहर लगे डीएनए लोशन को प्रभावित कर देती हैं और त्वचा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अमेरिका के नेमर्स चिल्ड्रंस हास्पिटल के सर्जन तमरा जे. बेस्टमोरलैंड ने कहा कि गम्भीर न्यूरो ब्लास्टोमा कैंसर पाम्परिक इलाज के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। यह शोध कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायक है। न्यूरो ब्लास्टोमा तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारम्भ होने वाला कैंसर है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर को समाप्त करने में सहायक है। वैज्ञानिकों ने बतलाया कि नैनों कणों को करक्यूमिन के साथ मिलाकर कई गुना प्रभावी होता है। हल्दी का उपयोग मुख्य मसाले के रूप में किया जाता है। हल्दी में एण्टी बैक्ट्रीयल, एण्टी फंगल, एण्टी इनफलेमेट्री गुण पाये जाते हैं। हल्दी प्राकृतिक एण्टीबोयाटिक है। शिकागो स्थित लोयला विश्वविद्यालय के मेडिकल सेण्टर के शोधकर्त्ताओं के अनुसार हल्दी ल्यूकोमिया रक्त कैंसर में भी लाभकारी है। प्रोफेसर नागभूषण के अनुसार हल्दी सिगरेट के धुएँ के दुष्प्रभाव से रक्षा करती है।

हल्दी एलजेहीमर नामक रोग से रक्षा करती है। इस रोग में मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। केलीफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी की उपस्थिति बीटा एमायलॉयड को समाप्त कर देती है। इससे एलजेहीमर रोग नहीं हो पाता है। मसूड़ों के फूलने एवं मुँह में छाले होने पर हल्दी का पेस्ट लगाने से लाभ मिलता है।

फोड़े–फुन्सी, खुजली होने पर हल्दी को गाय के मूत्र के साथ लेने से लाभ मिलता है। हल्दी, पटुआ की पत्ती, प्याज, गर्म सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से लाभ पहुँचता है। दाद, खाज, खुजली होने पर हल्दी को नीम के गूदे के साथ पेस्ट बनाकर लगाने से लाभ मिलता है। हल्दी पाउडर में नींबू रस एवं नमक मिलाकर गर्म कर लें। इसे घाव, कटे निशान, मोच एवं जोड़ों के दर्द में लगाने से लाभ पहुँचता है।

त्वचा को साफ करने, चमक, आकर्षण उत्पन्न करने के लिए सदियों से उबठन का उपयोग किया जाता रहा है। त्वचा कोमल, आकर्षक चमक वाली बनाने में हल्दी सहायक है। इस गुण को ध्यान में रखते हुए शादी में वर–वधू पर हल्दी लगाने का कार्यक्रम होता है, जो आज भी प्रचलित है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हल्दी औषधीय गुण वाली उपयोगी है। हल्दी स्वास्थ्य को बनाये रखने में भी सहायक है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में उमंग, उत्साह, उल्लास, स्फूर्ति प्रदान करता है। रोगी होने पर जीवन नीरस हो जाता है। जीवन जीना अभिशाप बन जाता है।

स्वास्थ्यप्रद सोयाबीन

प्रकृति दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। साथ ही स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए आवश्यक पदार्थो को भी प्रदान करती है। रोगों को दूर करने में सहायक पदार्थो की पूर्ति करती है। ऐसे अनेक पदार्थ हैं। उनमें से एक सोयाबीन है। सोयाबीन शरीर के विकास, वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

सोयाबीन के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन ६० प्रतिशत, लवण, १५ प्रतिशत सोडियम ३ प्रतिशत, पोटेशियम ३ प्रतिशत, आयरन ६ प्रतिशत, रेशे १२ प्रतिशत, अाइसोफ्लेपिन २ प्रतिशत, विटामिन्स 'ए', बी' १ प्रतिशत पाये जाते हैं। अतः सोयाबीन पौष्टिकता से परिपूर्ण है। तभी स्वास्थ्य रक्षक है।

पौष्टिकता के आधार से सोयाबीन दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। सोयाबीन खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग न कर लाभ प्राप्त करते हैं। सूखे सोयाबीन को गेहूँ या चने के साथ १:६ की मात्रा में मिलाकर पीस लें। जो आटा प्राप्त होगा, वह स्वादिष्ट, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्द्धक होगा।

सोयाबीन को ६–८ घण्टे पानी में भिगोयें। तत्पश्चात् १ भाग सोयाबीन ६ भाग पानी के साथ ग्राइन्डर में पीस लें। स्लरी को १० मिनट उबाल कर कपड़े से छान ले। सोयाबीन दूध प्राप्त होगा। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। स्वादानुसार चीनी, सुगन्ध मिलाकर सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। इस दूध से पनीर भी बना सकते हैं। सोया पनीर सामान्य पनीर से अच्छा होता है।

सोयाबीन के आटे में उड़द या मूँग की दाल का आटा मिलाकर पापड़ बनाये जाते हैं, जो स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्द्धक होते हैं। १०० ग्राम सोयाबीन, १०० ग्राम मूँग की दाल, १०० ग्राम उड़द की दाल, १०० ग्राम चना की दाल को पानी में ८–१० घंटे भिगो दें। फिर साफ कर ग्राइण्डर में पीस लें। इसमें हरी मिर्च, अदरक, हींग, कसा हुआ कुम्हड़ा, स्वाद अनुसार मिलायें। बडी बनाकर धूप में सुखा लें। इन बडियों का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है।

सोयाबीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। सोयाबीन में उपस्थित रेशे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करते हैं। सोयाबीन में उपस्थित लवण मांसपेशियों की कार्यशीलता

शेष पृष्ठ 11 पर

पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य?

रश्मि अग्रवाल

मानव की आवश्यकताओं, प्राकृतिक दोहन की क्षमताओं और पर्यावरण के बीच समायोजन होना आवश्यक है, और इसकी एक मजबूत कड़ी है, आज की भावी पीढ़ी। इसलिए बालकों को सुचेतना उत्पन्न करने हेतु नियमित शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य को पुनःस्थापित करने की आवश्यकता है। आज जबकि पर्यावरण में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो चुके हैं। तब भी शुद्ध सामाजिक पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों से हमें अधिकतम लाभों की प्राप्ति हो रही है।

अतः पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने हेतु विद्यालय के कार्यकाल में ही निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करनी होगी।

❖ छात्रों को यह समझाना कि प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन हमें मिले हैं, उनका वर्तमान की दौड़ में दोहन तो कर रहे हैं किंतु पुनः निर्माण नहीं। इसलिए इस आंशका से कि अगर ये माध्यम समाप्त हो गये तो... इस विषय पर उन्हें पूरी जानकारी कराना।

❖ छात्रों को ज्ञान हो कि परितंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु विभिन्न जीवों, एवं पेड़–पौधों का पर्यावरण में बने रहना अति आवश्यक है।

❖ छात्रों को अवगत कराना कि किस प्रकार व्यक्तिगत, बाहरी, एवं मूल रूप से मानव, प्राकृतिक साधन और जीव–जन्तु एक–दूसरे पर निर्भर होते हैं।

❖ आज की पीढ़ी को ये ज्ञात हो कि शीघ्र व विलंबकारी परिवर्तन किस प्रकार लाभ–हानि पहुंचा सकते हैं।

❖ छात्रों को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान विश्लेशणात्मक ढंग से रामझायें ताकि वो वैज्ञानिक व परम्परागत तथ्यों को गुणवत्ता के आधार पर समझ सकें।

❖ व्यक्तिगत जीवन, समाज एवं मानव जीवन के तौर–तरीकों पर पर्यावरण असंतुलन से क्या–क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं उनसे परिचित करवाएं।

❖ समाजिक प्राणी होने के नाते प्रकृति के संरक्षण की भावना एवं व्यवहार का विकास करना।

❖ विभिन्न कृत्यों द्वारा होने वाली पर्यावरणीय हानियों के संबंध में पूर्ण घोषणाएं करने की दक्षता पैदा करना और उनका मूल्यांकन करते हुए सही स्थिति का ज्ञान करने की क्षमता का विकास करना।

❖ पर्यावरण का विध्वंस करने के प्रसंग में सींची गई परिकल्पनाओं को एकत्रित कर उनका विश्लेषण कर उसका निदान सोचने का कौशल पैदा करना।

❖ कल्पना शक्ति एवं सर्जनात्मकता के आधार पर शुद्ध पर्यावरण के विकास में विज्ञान द्वारा किए गए कार्यों की प्रंशसा करना।

❖ पर्यावरण को आवश्यक विषय मानते हुए अन्य विषयों की भांति इसे भी शिक्षा प्रावधानों से जोड़कर प्रारम्भ से ही अनिवार्य बनाएं व पर्यावरण में कैसे कैरियर बनाएं इस संबंध में ज्ञान दिया जाए।

इस प्रकार से बालकों के भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत विशेष योगदान प्रदान कर सकेंगे।

❖ **विश्व पर्यावरण से संबंधित** : आज पूरे विश्व के लोग अनेक प्रकार के दिवस मनाकर उनके महत्व को समझने और समझाने के प्रयास करते हैं जैसे पृथ्वी दिवस, पेंगुइन दिवस, किसान दिवस, गुलाब दिवस, गणतंत्र दिवस आदि। ये दिवस मानव समाज की पीढ़ियों को स्वयं की परम्पराओं से भी जोड़ते हैं। ताकि इस प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े उन कर्तव्यों को न भूल सकें जिनका पालन करने से मानव जाति को सुरक्षित किया जा सकता है। आज अपने निजी स्वार्थों हेतु हम प्रकृति का अनावश्यक दोहन करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमनें वृक्षों की जीवनदायी वायु को विषैला बना दिया परंतु कभी यह मंथन नहीं किया कि ऐसे विषैले परिवेश में हमारी आने वाली भावी पीढ़ियाँ सांस ले पायेंगी? इतना सब कुछ लिखने, पढ़ने, देखने व समझने के पश्चात् भी एक–दूसरे पर दोषारोपण क्यों? क्या हम स्वयं से प्रश्न नहीं कर सकते? कि पर्यावरण प्रश्न और भी हैं?

पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है?

जंतुओं की तरह पेड़ तथा पौधों को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों का पेड़ तथा पौधों के सभी भागों में पहुँचना अनिवार्य होता है चाहें जड़ें (roots) हों, टहनियां, पक्तियां आदि। पेड़ या पौधों के पूरे भाग को जल तथा अन्य खनिज, मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जिसे जड़ के द्वारा अवशोषित कर विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। वहीं दूसरी ओर पेड़ तथा पौधों के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया (photosynthesis) द्वारा भोजन बनाया जाता है, जिसे पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। पेड़ तथा पौधों में परिवहन के लिये दो तरह के ऊतक (Tissue) होते हैं: ये हैं जाइलम (Xylem) तथा फ्लोएम (Phloem) ये दोनों ऊतक (Tissue) मिलकर पौधों में विभिन्न पदार्थो को जड़ (Root) से विभिन्न भागों तक तथा पत्तियों से जहाँ पर पौधों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, से पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं, अर्थात परिवहन (Transportation) करते हैं। आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि कैसे पौधों में जल का परिवहन होता है, किस ऊतक की मदद से जल पौधों में पहुँचता है आदि।

पौधों में जल का परिवहन : पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के ऊतक, जिसे जाइलम (Xylem) कहते हैं, के द्वारा होता है। आइये देखते हैं जाइलम क्या होते हैं?

जाइलम : जाइलम (Xylem) ऊतक नलिकाओं के आकार का होता है, तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है। जाइलम (Xylem) ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधों के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी विलेय के रूप में उपस्थित रहते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खजिन तथा लवण, जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाये जाते हैं। पौधों से विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पण की क्रिया होती है। इस वाष्पण की प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन (Transpiration) कहते हैं। इस वाष्पण की प्रक्रिया के कारण जाइलम, नलिकाओं में दाब कम हो जाता है। इस कम दाब के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसमें संतुलन बनाये रखने हेतु जड़ों से अवशोषित जलल जाइलम में ऊपर चढ़ने लगता है तथा पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। जाइलम ऊतक में जल का परिवहन एक ही ओर होता है, अर्थात जाइलम ऊतक द्वारा जल को जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है।

बायो टॉयलेट किसे कहते हैं?

फ्लश टायलेट के आविष्कार के १०० साल बाद भी आज दुनिया में सिर्फ १५ प्रतिशत लोगों के पास ही फ्लश टायलेट हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ ३ प्रतिशत लोगों के पास फ्लश टायलेट हैं और शहरों में भी यह आँकड़ा २५ प्रतिशत तक ही सिमट जाता है। भारत सरकार ने २०१३ से हाथ से मैला उठाने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया है। इसी कारण भारतीय रेलवे में भी मल से सम्बंधित सभी काम अब मशीन के द्वारा ही कराये जाने की प्रणाली को शुरू करने के लिए सकरार ने ट्रेन में बायो टॉयलेट्स या जैविक शौचालयों को लगाने का निश्चय किया है। संसद में रेलवे बजट २०१६–१७ पेश करने के दौरान भूतपूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने

डिबरूगढ़ राजधानी ट्रेन का भी उल्लेख किया था। यह दुनियाँ की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट युक्त ट्रेन है, जिसे भारतीय रेलवे ने पिछले साल पेश किया था। भारतीय रेलवे ने कहा कि उसका लक्ष्य, (स्वच्छ रेल–स्वच्छ भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत २०१६ तक सभी ५५,००० डिब्बों में १,४०,०००) बायो टॉयलेट्स लगाने का है। ३१ अक्टूबर २०१६ तक भारतीय रेलवे यात्री कोच में ४६,००० से अधिक जैव–शौचालय लगाए गए हैं।

बायो टॉयलेट किसे कहते हैं : बायो टॉयलेट का अविष्कार रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बायो टॉयलेट्स में शौचालय के नीचे बायो डाइजेस्टर कंटेनर में एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो मानव मल को पानी और गैसों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के तहत मल सड़ने के बाद केवल मीथेन गैस और पानी ही शेष बचते हैं, जिसके बाद पानी को पुनः चक्रित (री–साइकिल) कर शौचालयों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन गैसों को वातावरण में छोड़ दिया जाता है जबकि दूषित जल को क्लोरिनेशन के बाद पटरियों पर छोड़ दिया जाता है।

बायो टॉयलेट्स के क्या फायदे हैं :

१. पारम्परिक शौचालयों द्वारा मानव मल को सीधे रेल की पटरियों पर छोड़ दिया जाता था, जिससे पर्यावरण में गंदगी फैलने के साथ ही रेल

शेष पृष्ठ 11 पर

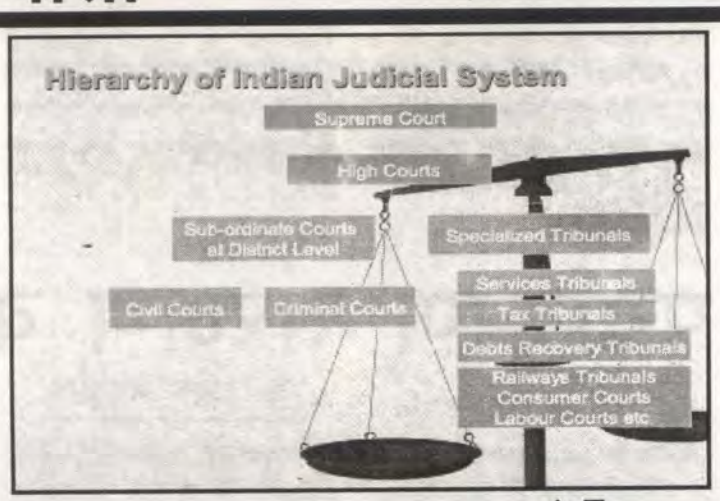

अदालतों का पदक्रम

साभार शिशु मंदिर संदेश

भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है जो कानून के अनुसार विभिन्न स्तरों पर देश की जनता को न्याय उपलब्ध कराती है। देश में नागरिक और आपराधिक विधि, दोनों के लिए अलग–अलग स्तरों पर न्यायाधीश नियुक्त किये गए हैं।

यह अदालत के स्तर और उससे जुड़ी हुई शक्तियों पर निर्भर करता है कि किसी मामले का मुकदमा किस स्तर पर लड़ा जायेगा, मुकदमा करने वाला पक्ष वादी है और जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, वह प्रतिवादी है। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है या जो व्यक्ति फैसले से आहत हुआ है, वह अगले स्तर यानी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसे में मामले में अपील करने वाला अपीली होता है और दूसरा पक्ष प्रतिवादी होता है। यही प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय तक दोहराई जाती है।

भारत में विधि व्यवस्था का ढांचा

- ❖ भारत में अदालतों का पदक्रम
- ❖ उच्चतम न्यायालय
- ❖ उच्च न्यायालय
- ❖ जिला एवम सत्र न्यायालय
- ❖ इससे नीचे निचली अदालतें

१. निचली अदालतें (जिला एवम सत्र न्यायालय)

हर जिले में निचली अदालतें हैं। यहाँ सबसे निचले स्तर पर न्याय का प्रशासन होता है। ये अदालतें उस जिले के राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन होती हैं। सबसे पहले दीवानी या फौजदारी के मामलों को इस स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। दीवानी मामलों में यह मौलिक, प्रादेशिक और आर्थिक अधिकार क्षेत्र है जो मामले को जिला अदालत में भेजने से पहले का चरण है। एक फौजदारी के मामले में निचले स्तर पर प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र को देखना जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद २३३–२३७ अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बन्धित है। राज्य न्यायिक सेवा द्वारा जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद २३७ राज्यपाल को यह अधकार देता है कि वह सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा अध्याय ४ के अधीनस्थ न्यायालय सम्बन्धी प्रावधान लागू कर सके जिसके अनुसार ये प्रावधान "राज्य के किसी भी श्रेणी या श्रेणियों क मजिस्ट्रेट पर उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वे न्यायिक सेवा द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं।"

आपराधिक मामले में ऐसी अदालतों के सामने वादी या प्रतिवादी, कोई भी पक्ष मुकदमा कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में अभियोग चलाने का अधिकार आता हो। अधिकार क्षेत्र से मतलब है कि अदालत किसी मुकदमे की कार्रवाई को संचालित कर सकती है जिसमें कि उसके पास

- ❖ मौलिक अधिकार क्षेत्र यानि मामले को मूल रूप से पहली बार उसके पास पेश किये जाने की जरूरत हो।
- ❖ प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र यानि जिस क्षेत्र में विवाद घटित हुआ हो या दोनों पक्ष उस क्षेत्र में रहते हों और
- ❖ आर्थिक अधिकार क्षेत्र यानि अगर धनराशि निहित हो जिसमें उक्त धनराशि की सीमा के तहत अदालत को मुकदमा की कार्रवाई करने की शक्ति मिली हो।

सबसे पहले मामले को निचली अदालत में पेश करना चाहिए। अगर मामले में पीड़ित पक्ष अपील करता है तो ऊपरी अधिकार क्षेत्र की अदालतों में अपील करना चाहिए और उसके बाद अंतिम रूप से देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। दीवानी या नागरिक मामले में मुकदमे की प्रक्रिया निम्निलिखित है

१. मुंसिफ अदालत : यह सबसे निचली अदालत है जिसमें एक लाख या उससे कम धनराशि वाले मुकदमे चलाये जाते हैं। इस अदालत के बाद जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह छोटे मामलों वाली अदालत है। इसके बाद नागरिक मामलों की कनिष्ठ न्यायाधीशों की अदालत आती है। जिला न्यायालय में एक लाख रुपये से अधिक धनराशि वाले मुकदमों की सुनवाई होती है।

२. जिला न्यायालय व नागरिक मामलों की वरिष्ठ अदालत : इन अदालतों में अधिकतम दो लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई होती है।

३. उच्च न्यायालय : इस अदालत में दो लाख रुपये से अधिक रकम वाले मामलों की कार्रवाई होती है और इसके पास मूल और अपीली, दोनों अधिकार क्षेत्र हैं।

४. सर्वोच्च न्यायालय : आखिरी अपील की जगह जिसके पास कुछ मामलों पर सुनवाई करने के लिए मौलिक और अपीली अधिकार क्षेत्र हैं। आपराधिक या फौजदारी के मामलों में विभिन्न मामलों पर निम्न प्रकार से सुनवाई होती है।

५. द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट : ये वे प्राधिकृत अधिकारी हैं जो एक साल तक की कैद या हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा वाले या दोनों, तरह के मुकदमों पर निर्णय लेते हैं।

६. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट : ये अधिकारी तीन साल तक की कैद या ३ हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा या दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करते हैं।

७. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट : ये कोई भी जुर्माना लगाने और सात साल तक की कैद की सजा सुनाने का अधिकार रखते हैं।

८. सत्र न्यायाधीश के पास १० साल तक की सजा सुनाने और कितना ही जुर्माने का दंड देने का अधिकार है। सत्र न्यायाधीश विधिसम्मत कोई भी सजा दे सकते हैं लेकिन उनके द्वारा दिए गए मृत्युदंड का उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है। (अधिक जानकारी के लिए आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया की धारा २८ और २९ को देखें।)

९. उच्च न्यायालय के पास राज्य स्तर पर सभी मामलों की सुनवाई के लिए मौलिक और अपीली और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं।

१०. सर्वोच्च न्यायालय के पास राष्ट्रीय स्तर पर सभी अभियोगों की कार्रवाई के लिए मौलिक और अपीली और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं। इसके मौलिक क्षेत्राधिकार में संविधान की धारा ३२ और १३६ के अनुसार रिट याचिकायें सम्मिलित हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को बतौर संघीय अदालत अपने क्षेत्राधिकार में और अधीनस्थ अदालतों से किसी भी विचाराधीन मामले को माँगने और उस पर विचार करने का अधिकार है। संघीय अदालत से आशय राज्यों के बीच, राज्यों और केन्द्र के बीच मामलों का निर्णय करने वाली शीर्षस्थ अदालत और अभिलेख न्यायालय से है।

उच्च न्यायालय

राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और उसके अधीन न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद २४१–२३७ राज्य न्यायपालिका से सम्बधित है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ कुछ न्यायाधीश होंगे जिनकी अध्यक्षता में समय–समय पर विलंबित पड़े मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा वहाँ अधिकतम दो वर्ष के लिए अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश भी होंगे। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का तबादला भी होगा। न्यायाधीश अपने पर ६५ वर्ष तक की आयु तक बने रहेंगे। उन्हें किसी अन्य अदालत में वकालत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर सभी उच्च न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी के मुकदमों की कारवाई संचालित करने की अनुमति प्राप्त है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार क्षेत्र हैं

१. बतौर अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद २१५)।

(अभिलेख न्यायालय का मतलब उन अभिलेखों से है जिनका सबूत के रूप में महत्व है और अदालत में पेश किये जाने पर उन पर सवाल नहीं उठाये जा सकते। अभिलेख न्यायालय अपनी अवमानना किये जाने पर दण्डित कर सकता है।)

२. संविधान-पूर्व अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद २२५)।

यह अनुच्छेद संविधान पूर्व अधिकार क्षेत्र यानि निर्णयन को संरक्षित रखता है।

३. लेख/रिट अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद २२६)।

उच्च न्यायालय न केवल बुनियादी मानवाधिकारों या मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी लेख जारी कर सकता है।

४. निगरानी अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद २२७, २२८ और २३५)।

अनुच्छेद २२७ सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को राज्य की सीमा के अन्दर सभी अदालतों और न्यायाधिकारणों के पर्यवेक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद २२८ उच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि अधीनस्थ अदालतों में लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए, जहाँ पर की विधि के सवाल के रूप में संविधान की व्याख्या या विधि के प्रश्न को निश्चित करना जरूरी है, हस्तक्षेप कर सकता है। उच्च न्यायालय खुद ही मामले का समाधान प्रस्तुत कर सकता है या विधि के प्रश्न तय हो जाने पर मामले को अधीनस्थ न्यायालय को वापस सौंप सकता है। अनुच्छेद २३५ कहता है कि उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ अदालतों और जिला न्यायाधीश को छोड़कर इन अदालतों के अधिकारियों पर नियंत्रण रखेगा।

५. मौलिक अधिकार क्षेत्र की मुख्य नागरिक अदालत

अधिकांश उच्च न्यायालयों का काम निचली शेष पृष्ठ 10 पर

हिन्दुओं के बाहुल्य पर धर्म संकट

✍ डॉ देवेश प्रकाश आर्य

भारत कभी विश्वगुरु कहलाता था। भारत ने विश्व को सबसे सही कालगणना दी। भारत ने विश्व को गणित दिया। भारत ने विश्व को आयुर्वेद दिया, धातुशास्त्र दिया, संगीत दिया, सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा संस्कृत दी, वैमानिकी की कल्पना दी, युद्ध के लिए श्रेष्ठ अस्त्र–शस्त्रों की कल्पना दी, योग दिया, विज्ञान सम्मत जीवन जीने की विधि दर,

शून्य और अनंत की अवधारणा दी– भारत ने ही विश्व को एक अप्रतिम अवधारणा दी– गणतंत्र की, समन्वय की, सह अस्तित्व की, हमें अपने देश पर, मानवता को अपने योगदान पर, गर्व है। किन्तु हम ध्यान दें तो पाएँगे कि भारत का विश्व को सारा योगदान तब का है जब भारत में हिन्दुत्व प्रबल था, भारत पर अब से अन्य संस्कृति का दखल हुआ, चाहे वह यूनानी हो, इस्लामी हो या ईसाइयत हो, भारत का विश्व में योगदान अत्यंत कम हो गया, वास्तव मे इसके पीछे हिंदुत्व के कुछ गुण हैं, इन गुणों की चर्चा हम एक एक करके करते हैं।

हिंदुत्व की वैज्ञानिक सोच विज्ञान का शुद्ध रूप है उपलब्ध ज्ञान को जिज्ञासा के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, कोई बात है तो क्यों है, कैसे है, इसके पीछे कोई तार्किक आधार है क्या, ऐसे प्रश्नों के माध यम से हम सत्य के अधिक से अधि ाक निकट पहुँच पाते हैं, जिस संस्कृति में, जिस समाज में जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाता है, तर्क करने को प्रश्रय दिया जाता है, वही संस्कृति आगे बढ़ती है, इस सम्बन्ध में हिन्दू समाज अतुलनीय रूप से आगे रहा है, हमारे तो ग्रन्थ भी प्रश्नों से ही प्रारंभ होते हैं– अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सोचें तो कितनी बड़ी बात है, हम ब्रह्म को, ईश्वर को भी अपनी जिज्ञासा की परिधि में लाते हैं, ब्रह्म या ईश्वर को भी, जो कि सर्वशक्तिमान है, हम मात्र विश्वास का पात्र नहीं मानते, भारत में ही हिन्दू समाज के अतिरिक्त जो दो प्रमुख समाज हैं, मुस्लिम और ईसाई, उनसे हिन्दू समाज की हम तुलना करें तो पाएँगे कि ऐसे तर्क करने की स्वतंत्रता वहाँ उपलब्ध नहीं है, अल्लाह या पैगम्बर साहब या यहोबा या यीशु मसीह वहाँ तर्क के विषय नहीं हैं, वे मात्र आस्था और विश्वास के पात्र हैं।

हम पाएंगे कि विश्व में इसी कारण जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ईसाइयत और इस्लाम की सोच के आगे जाकर ही खोज या अविष्कार किये, उदाहरण के लिए अगर हम आस्था पूर्वक विश्वास किये बैठे रहते कि पृथ्वी चपटी है, सूरज पश्चिम में किसी दलदल में धंस जाता है आदि आदि तो क्या आज जैसी प्रगति देखने को मिलती है, वह कभी मिल पाती? दूसरी ओर हम पाएँगे कि सभी वैज्ञानिक ाविष्कार और खोजों ने हिन्दू मान्यताओं की ही पुष्टि की है, चाहे वह पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने की बात हो चाहे वह पेड़ पौधों मे जीवन होने की बात हो, इसका कारण है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने वैज्ञानिक सोच को प्रश्रय दिया और वैज्ञानिकता को जीवन का आधार बनाया।

हिन्दू समाज सुधारवादी समाज है हिन्दुओं की तर्क को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति हिन्दू समाज को सुधारवादी बनाती है, हिन्दू समाज अपने अन्दर व्याप्त कुरीतियों को शीघ्रता से छोड़ पाता है, सामान्यतः हम पाएँगे कि कुरीतियों के विरुद्ध जागरण अभियान हिन्दू समाज के अन्दर से ही उठे और पल्लवित हुए, उदाहरण के लिए हम सती प्रथा को ले, किन्हीं कारणों से हिन्दू समाज में सती प्रथा प्रचलित हो गई, यद्यपि जब प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी तब भी सती होने के प्रसंग बहुत कम ही होते थे, सती प्रथा के विरुद्ध हिन्दू समाज से ही पुकार उठी और हिन्दू समाज ने सती प्रथा का त्याग किया, आज सती प्रथा का लेश भी शेष नहीं है, इसी प्रकार हम जाति व्यवस्था को देखे, कभी धर्मान्तरण रोकने के लिए यह व्यवस्था विकसित हुई, किन्तु इसमें गंभीर दोष उत्पन्न हुए और यह व्यवस्था हिन्दू समाज पर कलंक बन गई, ऐसे में हिन्दू समाज में ही इसका विरोध हुआ और विभिन्न सुधारवादी व्यक्तियों ने इसको तिरोहित करने का आहवान किया, स्वतंत्रता के पश्चात् समाज में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर वंचित समाज को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हिन्दू नेतृत्व ने ही की, आज जातिगत भेदभाव को हिन्दू समाज का बड़ा भाग अमान्य कर चुका है और सम्भवतः अगली पीढ़ी तक यह भेदभाव पूरी तरह से तिरोहित हो जायेगा।

इसी क्रम में हम बहु विवाह की प्रथा को ले सकते हैं, हिन्दू समाज ने स्वयं इस प्रथा का त्याग किया, विरोध के रहते हुए भी हिन्दू नेताओं ने हिन्दू कोड बिल लाकर हिन्दू समाज के कई दोषों का समाधान किया, इसी प्रकार हिन्दू समाज ने दहेज प्रथा को त्यागने में स्वयं तत्परता दिखाई पहले हिन्दू बड़े परिवार और बहुत सारे बच्चों में विश्वास करते थे, किन्तु समय की मांग को देखते हुए हिन्दुओं ने छोटे परिवार अपना लिए है।

ऐसा सुधारवादी दृष्टिकोण हमें अन्य मत पंथों को मानने वाले समाजों में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता, ईसाई समाज में हम पाते हैं कि अभी तक अविश्वसनीय चमत्कारों की बात को अधिकारिक मान्यता है, यहाँ तक कि ईसाई संतों के निर्धारण के लिए अभी तक ऐसी दकियानूसी प्रथा है कि उनके कुछ चमत्कार होने चाहिए, मुस्लिम समाज भी अपनी तीन तात्कालिक तलाक और हलाला जैसी कुछ कुरीतियों को छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं है।

हिन्दुआं के श्रद्धा के केंद्र भारत में ही है हम पाते हैं कि हिन्दुओं के किसी भी मत की बात हम करें, चाहे वह शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे सामान्य सनातनी हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह सहजध ाारी सिख हो, चाहे वह शंकरी हो, चाहे वह रामानंदी हो, चाहे वह गायत्री परिवार को मानने वाला हो, चाहे वह अन्य किसी पंथ को मानने वाला हो, चाहे वह किसी भी पंथ को न मानने वाला हो, उसकी आस्था के केन्द्र भारत में हैं, और पूरे भारत में है।

इसकी तुलना में इस्लाम के अनुयायियों के श्रद्धा के केन्द्र भारत के बाहर हैं, इसी प्रकार ईसाईयों के आस्था के केन्द्र भी भारत के बाहर हैं, इनकी आस्था के केन्द्र भारत के बाहर होने के कारण इन्हें अरबी या अंग्रेजी भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक प्रिय होती है, देश के वातावरण के विपरीत परिधान इन्हें पसंद आते हैं, भारत जैसे गर्म देश के काले बुर्के तर्कहीन लगते है, कोट–पेंट–टाई असहज लगते हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाईयों को यह पसंद आते हैं क्योंकि जहाँ उनकी आस्था है, वहाँ के लोग यही पहनते हैं।

आस्था का यह प्रभाव यह भी तय करता है कि आपके नायक कौन होंगे, हिन्दुओं के नायक जहाँ चन्द्रगुप्त हो मौर्य, अशोक, राजा दाहिर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी श्रद्धानन्द जी आदि हैं, मुस्लिमों में नायक बाबर, अकबर, औरंगजेब आदि हैं, अतंर स्पष्ट है, हिन्दुओं के नायक देश के गौरव हैं जबकि अहिंदुओं के नायक देश के आक्रान्ता हैं।

आस्था का यह प्रभाव आपके नामों को भी तय करता है, हिन्दू नाम जहाँ भारतीय संस्कृति के द्योयोतक होते हैं, ईसाई नाम पश्चिमी देशों के ाायकों के नामों पर होते हैं, मुस्लिम नाम तो भारत के शत्रुओं के नामों पर रखे जाते हैं, एक नायक नायिका ने तो अपने बच्चे का नाम एक आततायी तैमूर के नाम तक पर रखा और उसमें वे गर्व अनुभव कर रहे हैं।

भारत को भौगोलिक अखण्डता की दृष्टि से देखें तो हिंदुत्व ही इसकी गारन्टी है, भारत कभी बहुत विशाल हुआ करता था, किसी कालखंड में यूरेशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता था, इसमें आर्यों के प्रभाव के क्षेत्र को आर्यावर्त कहते थे, इस आर्यावर्त में भरतखण्ड भारत को कहते थे।

आर्यावर्त में वर्तमान ईरान और तिब्बत सहित बहुत बड़ा भू–भाग होता था, भरतखण्ड में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर वर्तमान इंडोनेशिया तक का अविचल भाग था, यह भूभाग ८२ वर्ग किलोमीटर के लगभग होता था, विचार करें कि अफगानिस्तान किस कारण से भारत से पृथक हुआ? इंडोनेशिया किस कारण से भारत से पृथक हुआ? श्रीलंका, मालदीव, बर्मा (ब्रह्मदेश), थाईलैंड, कबोडिया, किस कारण भारत से पृथक हुए? तो हम पाएँगे कि हिन्दू जनसंख्या या हिन्दुत्व का भाव कम होने के कारण के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं था, बौद्धों में मन में बात आई कि वे हिन्दू नहीं हैं, बौद्ध बहुल भाग भारत से पृथक हो गए, इसी प्रकार बहुत से भूभाग में मुस्लिम बहुलता में आ गए, ये भाग भारत से पृथक हो गए, हमारे देश के कई भाग कब पृथक हुए, इसका हमें पता ही नहीं चला, मगर हाल में पाकिस्तान के पृथक होने का इतिहास तो सबको ज्ञात है, आज भारत मात्र ३२ लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गया है।

आज भारत की अखण्डता को चुनौती कहाँ कहाँ मिल रही है, इसका हमें विश्लेषण करना होगा, थोड़े से विचार से ही हम पाएँगे कि जिन जिन क्षेत्रों में हिन्दू कम हो गए हैं, वहीं वहीं देश की अखण्डता को खतरा है, फिर चाहे वह कश्मीर शेष पृष्ठ 11 पर

हिन्दू महासभा के पूर्व अध्यक्ष लाला लाजपत राय २८ जनवरी जयंती पर

बहुमुखी प्रतिभा और कर्तत्व के प्रतीक

✍ डॉ. सन्तोष गौड़ 'राष्ट्रप्रेमी'

आजादी की लड़ाई के महान सेनापति, शान्तिपथ पर चलने वाले क्रान्तिकारी, कर्मयोगी, त्यागमूर्ति हिन्दू महासभा के पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी, साहित्यकार, पत्रकार, आर्य समाज के प्रचारक—सभी कुछ थे लाला जी। वास्तव में वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साधारण परिवार में जन्म लेने वाले असाधारण पुरुष थे। लाला जी की कीर्तिमान समर्पित जीवन—गाथा चिरस्मरणीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। उनका जन्म पंजाब में फिरोजपुर जिले के ढोडि गाँव में २८ जनवरी सन १८६५ को साधारण शिक्षक परिवार में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा भी गाँव के ही स्कूल में हुई। उनके रक्त की एक—एक बूँद देश के लिए आन्दोलन करने में लगी। अंग्रेज सरकार की लाठियों ने उनके बलिदान को भी चिर—स्मरणीय बना दिया। वे राष्ट्रीय स्वाभिमान के रक्षक, महान स्वतन्त्रता सेनानी तो थे ही, इससे भी पूर्व वे दीन—दुखियों के हितैषी, समाजसेवक व शिक्षाविद् भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि स्वतन्त्रता—प्राप्ति व देश के विकास के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। अतः वे आजीवन आर्य समाज के माध्यम से शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्यरत रहे।

पिता श्री राधाकृष्ण जी की शिक्षा अरबी फारसी मदरसे में हुई थी। मदरसे के मुख्याध्यापक मौलवी साहब कट्टर मुसलमान थे। उनके शिष्यों के साथ गहरे सम्पर्क का परिणाम यह निकला कि उनके अधिकांश शिष्यों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। राधाकिशन जी भी नींम—मुसलमान थे, वे पाँच बार नमाज पढ़ते, रोजे रखते; उनका सम्पूर्ण रहन—सहन, खान—पान, लिबास सब इस्लामी हो गया था। मुस्लिम सूफियों, इमामों तथा संतों से उनकी अच्छी—खासी मित्रता रहती थी। मुसलमानों की तरह ही हिंसा में उनका विश्वास था। वे मांस—मछली खाते थे; मांसाहारी भोजन पसन्द करते थे और यहाँ तक कि कभी—कभी मुसलमानों के घर पका—पकाया गोश्त—रोटी अपने घर लाकर खा लिया करते थे। उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया, वह भी सिर्फ लालाजी के प्रेम के कारण। क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया, तो पत्नी अपनी सन्तानों को लेकर अलग हो जायेगी। लाला जी की माँ का नाम गुलाब देवी था और वे सिख धर्म को मानने वाली थीं। वे 'गुरु ग्रन्थ साहब' का पाठ करती थीं और धार्मिक संस्कारों, अच्छे आचार—व्यवहार वाली संजीदा महिला थीं। लाला जी पर अपनी माता जी का अमिट प्रभाव पड़ा। माताजी के साथ—साथ स्वामी विवेकानन्द की शिष्या भगिनी निवेदिता के हिन्दू—धर्म—दर्शन प्रेम और राजनीतिक विचारों से लाला जी अत्यधिक प्रभावित हुए। आप महिलाओं के प्रति विशेष सदाशय थे; क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेरणा—स्रोत मातेश्वरी को पीड़ित होते हुए देखा था। माँ की वेदना का चित्रण लाला जी ने अपनी आत्मकथा में बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है, "मुझे खूब याद है मेरे बचपन में वे अपने पति के अत्याचारों पर घण्टों रोया करती थीं। कई दिन तक खाना नहीं खाती थीं और अपने बच्चे को ले, ठण्डी साँसें लिया करती थीं। अपने पति की सब बुराइयों पर पर्दा डालती थी, पर लम्बे समय के लिए उनसे अलग नहीं होती थीं।"

गरीबी के कारण लाजपतराय का विधिवत् शिक्षण न हो सका। उनकी आठवीं तक की पढ़ाई पिता ने कराई। लालाजी ने लिखा है, "अंग्रेजी को मिडिल तक प्रायः सब कुछ मैंने अपने पिता से सीखा। शिक्षा के विषय से प्रेम मेरे पिता से आया। जीवन में मेरा वास्ता बीसियों अध्यापकों से पड़ा होगा; परन्तु उनसे अच्छा अध्यापक मुझे कहीं नहीं मिला। उनको अपने शिष्यों के साथ सच्चा प्रेम रहता था।" लालाजी ने १३ साल की उम्र में मिडिल किया और शिक्षा विभाग से ७ रुपये माह वजीफा मिला। १८८० में आपने मैट्रिक परीक्षा भी इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की कि आपको छात्रवृत्ति मिली। जिससे उत्साहित होकर पिता ने आपको लाहौर के गवर्नमेण्ट कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया। जहाँ से एम.ए. करने के बाद मुख्तारी की परीक्षा पास की।

लाला लाजपतराय का विवाह विद्यार्थी जीवन में ही राधादेवी के साथ हो गया था। केवल परीक्षाओं तक ही आपका विद्याभ्यास सीमित नहीं रहा। आपकी शिक्षा का वास्तविक क्षेत्र दूसरा ही था। अपने शिक्षा काल में ही आपने आर्य समाज के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। स्वभाव से ही आप लोकसेवक और परोपकारी व्यक्ति थे। किसी के दुख में हाथ बँटाना और सहायता देना आपका स्वभाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि आपकी वकालत की परीक्षा तीन वर्ष में उत्तीर्ण हुई। हिसार जाकर आपने वकालत तो प्रारम्भ कर दी; किन्तु सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पण भाव में कोई कमी नहीं आई। आपकी आय का बड़ा भाग समाज के कार्यों में ही खर्च होता था। 'समाज' की स्थापना के लिए अपनी डेढ़ हजार रुपये की सारी बचत दान में दे दी। यह रकम बड़ी भले ही न लगती हो, लेकिन उस समय काफी थी। अपना सब कुछ दान दे देने की प्रेरक भावना महत्त्वपूर्ण थी। आपने हिसार में ही एक संस्कृत विद्यालय की नींव भी रखी। हिसार म्यूनिसिपल बोर्ड के आप तीन वर्षों तक अवैतनिक मन्त्री रहे।

लाहौर के लोगों के विशेष आग्रह पर आप हिसार से लाहौर आ गये। लाहौर पंजाब का केन्द्र था। लालाजी जानते थे कि लाहौर पंजाब की समस्त प्रगतियों के लिए केन्द्रीय—स्थल है अतः लाहौर को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया। लालाजी ने आर्य समाज के माध्यम से सेवा करना अपना उद्देश्य बना लिया था। वे कहा करते थे, "आर्य समाज मेरी माता है और वैदिक धर्म मेरा पिता" लाला जी ने आर्य समाज को जनसाधारण का आन्दोलन बना दिया। आर्य समाज के प्रचार—प्रसार से असंख्य लोगों में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने का श्रेय लाला जी को जाता है। लालाजी के अन्दर एक रचनाकार भी छिपा था, जिसका परिचय लाहौर में रहकर संसार के महापुरुषों जोसेफ मेजिनी, गेरी बाल्डी, छत्रपति शिवाजी, स्वामी दयानन्द और श्रीकृष्ण की रोचक जीवनियों को लिखकर दिया। इन जीवन चरितों द्वारा लाला जी ने देश के युवकों में राष्ट्रप्रेम और देश—भक्ति की भावना को प्रेरित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर आपने 'पंजाबी' नामक पत्रिका भी निकाली और अपने जानदार लेखों के माध्यम से जनता में नया जोश पैदा किया।

स्वामी दयानन्द के आदर्शों को कार्यान्वित कने के उद्देश्य से लाहौर में एंग्लो—वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। कॉलेज को बिना सरकारी सहायता के चलाया जाना था। इस महान कार्य के लिए असाधारण संगठन शक्ति की आवश्यकता थी। लाला जी ने नगरों में घूम—घूम कर जनता से धन की भिक्षा ली। उनके ओजस्वी भाषणों को सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ती और आपकी झोली भर जाती। स्त्रियों ने अपने आभूषण उतार कर राष्ट्रीय महायज्ञ में योगदान दिया। शिक्षा प्रचार में डी.ए.वी. कॉलेज के संचालन तक ही लालाजी के कार्यों का अन्त नहीं हो जाता। आप निरन्तर शैक्षिक उन्नयन में लगे रहे। आपके सहयोग का अर्थ केवल नैतिक सहयोग या शाब्दिक सहानुभूति प्रदर्शन से नहीं था। आप जिस कार्य में योग देते तन—मन—धन की सम्पूर्ण शक्ति लगा देते। कठिन परिश्रम से जो कुछ अर्जित किया था, अपनी सम्पूर्ण बचत ५० हजार रुपये की धनराशि अर्पण कर दी। इस तपोमय जीवन का जनता पर जादू जैसा प्रभाव होता। जहाँ आप पसीना बहाते थे जनता अपना रक्त दान करने को उमड़ पड़ती। शिक्षा सम्बन्धी प्रगतियों के कारण आपकी गणना भारत के शिक्षा विशेषज्ञों में होने लगी। लार्ड कर्जन द्वारा बनाई गई शिक्षा सम्बन्धी जाँच कमेटी के समक्ष साक्षी देने का सम्मानपूर्ण निमन्त्रण भी इसी बात को प्रमाणित करता है।

सन १८६७ के अकाल व प्लेग के समय लाला जी का सेवा भाव व दीन—दुखियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना उभरकर आई। आपने अकाल—पीड़ितों की मदद के लिए समितियों का गठन किया और दान—संग्रह का कार्य करके सहायता कार्य चलाया। अनाथ बच्चों को ईसाई पादरियों के चंगुल से बचाने के उद्देश्य से आपने आर्य समाज के सहयोग से कई शहरों में अनाथालय खोले। इन अनाथालयों में हजारों बच्चों का पालन—पोषण हुआ। लालाजी के इस कार्य से हिन्दू बच्चों को बिना धर्म परिवर्तन किये ठिकाना मिला। सरकार द्वारा १६०१ में दुर्भिक्ष कमीशन नियुक्त किये जाने पर कमीशन से भी आपने यह आग्रह किया कि उन अनाथ बालकों जिनके अभिभावकों की मृत्यु हो चुकी है, उनके धर्मावलम्बियों के ही सुपुर्द किया जाये। भविष्य में निराश्रित बालक सरकार द्वरा उनके सहधर्मियों को ही सुपुर्द किये जाने लगे। १६०७—१६०८ में उड़ीसा व मध्य प्रान्त में फिर अकाल पड़ा। लालाजी फिर स्वयंसेवकों को लेकर विपत्तियों का सामना करने के लिए आगे आये। अकाल पीड़ितों की सेवा के साथ—साथ समाज के उपेक्षित वर्ग, हरिजनों के उद्धार के लिए भी आपने ठोस कार्य किया। उनके लिए स्थान—स्थान पर शालाएँ खोलीं। १६१२ में एक अछूत कांफ्रेन्स आपके सभापतित्व में गुरुकुल कांगड़ी में सालाना जलसे के अवसर पर हुई। उस समय तक महात्मा गाँधी ने हरिजन सेवा का कार्या आरम्भ नहीं किया था। लाला लाजपतराय जो स्वभाव से दलित वर्ग के सदा सहायक रहते थे, इस कार्य में भी अग्रणी हुए। आर्य समाज के सहयोग से आप आगे आये। केवल प्रचार—प्रसार से आप सन्तुष्ट नहीं हुए। प्रत्येक सुधार के काम का आधार आप शिक्षा को समझते थे। अतः आपने हरिजनों की शिक्षा के लिए विशेष उपाय किये। इस कार्य के लिए अपने पास से चालीस हजार रुपये का दान किया। स्वयं सर्वस्व समर्पित करने के बाद ही आप अन्य श्रीमानों से भिक्षा लेने उनके दरवाजे पर जाते थे और आपके लिए लोग दिल खोलकर सहयोग करते थे।

सन १८८५ में मि. ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन की सलाह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका चौथा अधिवेशन १८८८ में हुआ, जिसमें आपको भाषण देने का अवसर मिला और आपने कौंसिल सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया। प्रयाग में १८९२ के अधिवेशन में बाँटने के लिए विशेष रूप से आपने एक पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें सर सैय्यद अहमद के कांग्रेस विरोधी विचारों का उत्तर दिया गया था। प्रयाग अधिवेशन में ही यह तय किया गया कि अगला अधिवेशन लाहौर में होगा; किन्तु लाहौर में अधिवेशन कराना काफी मुश्किल था; क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय वातावरण नहीं बन पाया था। मुसलमानों ने अधिवेशन में सहयोग करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था। लालाजी की प्रेरणा से आर्य समाज ने अधिवेशन में सक्रिय सहयोग दिया व अधिवेशन सफल रहा। लालाजी ने स्वागत समिति के अध्यक्ष या मन्त्री न रहते हुए भी अधिवेशन को सफल बनाने के लिए कोई कोर—कसर न रहने दी। इसके बाद लालाजी की राष्ट्रीय भावना दिन—प्रतिदिन प्रखर होती गई। महाराष्ट्र में लोकमान्य का प्रभाव बढ़ रहा था। दोनों के स्वभाव में अनुकूलताएँ थीं अतः दोनों ने मिलकर कार्य करने का निश्चय किया। इनके विचार नरमदलीय नेताओं से नहीं मिलते थे। अतः इनको विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन दोनों दलों के मतभेद का चरम बिन्दु था। लालाजी स्वभाव से गरमदलीय थे वे विदेशी सरकार से लड़कर राज्य चाहते थे, भिक्षा माँगकर नहीं। सन १६०५ में बंग—भंग आन्दोलन के कारण देश भर में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रबल जनमत जाग्रत हुआ; सरकार ने देशभक्तों को चुन—चुनकर जेल में भरना शुरू कर दिया। लालाजी भी कहाँ बचते, १८१८ के बंगाल रेग्यूलेशन कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके मई, १६०७ में आपको माण्डले जेल भेज दिया गया। इसके बाद आप वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से सामाजिक

शेष पृष्ठ 10 पर

संयुक्त परिवार में हो रहा विघटन, बिखराव

समाज परिवर्तनशील होता है। यहां नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में से एक है पारिवारिक संबंधों से जुड़े बदलाव। बदलते दौर में समाज में कुछ चीजें, बातें, आदतें और जीवनशैली बदली है तो दूसरी ओर इन संबंधों का छीजना यानी अपनापन भी घटते देखा जा रहा है। इन हालात में सहज ही यह सवाल उठता है कि यह परिवर्तन आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा? निश्चय ही ऐसा तो नहीं है। इसे ठीक करने की जिम्मेदारी आज हमारी है ताकि भविष्य इसके लिए तैयार रहे।

भौतिक सुख–सुविधाओं में फंसकर मनुष्य परिवार और गृहरचना की उपेक्षा कर रहा है, जिसका परिणाम संयुक्त परिवारों की एकल परिवार की श्रेणी में आना और रिश्तों में बढ़ती दूरी व विवादों का उत्पन्न होना है। आज के परिदृश्य में समाज की बिगड़ती स्थिति के कारण मनुष्य का सुख व शांति दोनों ही छिन गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पूर्ण अनुसरण नहीं कर रहा है, जबकि ये चारों पुरुषार्थ के अभिन्न अंग हैं। इनके महत्व को अनदेखा कर इन चारों अंगों में से वह सिर्फ अर्थ व काम तक ही सीमित रह गया है।

हमारा परिवार मंगलमय हो, आनंदमय हो, नाचता हुआ हो, खिलाता हुआ हो, स्वर्ग जैसा हो, फूल जैसा खिला हो तो ही हमारा परिवार मंगलमय परिवार बन सकता है, लेकिन आज हमारे परिवार में अशांति, कलह, दुख, तनाव अधिक है। परिवार में कोई भी बड़ों और छोटों का आदर नहीं करता। आज हमारे घर तो बड़े–बड़े हैं, लेकिन घर वालों के दिल एक–दूसरे के प्रति छोटे होते जा रहे हैं। परिवारों में प्रेम और स्नेह के बजाय ईर्ष्या और घृणा सबसे अधिक होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी की सोच बदलती जा रही है। आज युवा पीढ़ी हम दो–हमारे दो की भावना में जीवित है। यही कारण है कि युवा पीढ़ी आज संयुक्त परिवारों की डोर छोड़ एकल परिवार की ओर रुख कर रही हैं, जिससे परिवार का अंमंगल होता जा रहा है। आज परिवारों में प्रेम, स्नेह और विश्वास का भाव कम होता जा रहा है, जिससे आज समाज में संयुक्त परिवार एकल परिवार का रूप लेते जा रहे हैं। उन्होंने बताया माता–पिता एवं वृद्धजन की सेवा, एक समय परिवार के सभी सदस्यों का साथ में भोजन, स्वच्छ मन से भक्तिमय होकर तीज त्योहार मनाना, धर्म की सुगंध फैलाना आदि मंगलमय परिवार के लक्षण हैं।

इसका कारण आज का आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग को हमने विज्ञान के युग की संज्ञा दी है। इस वैज्ञानिक युग में मानव मशीन बन गया है। मशीन बनने से उसके अंदर की करुणा की भावना समाप्त हो गई है। इसी भावना से समाप्त होने पर एकल परिवार अस्तित्व में आए। हम केवल इस बात को महसूस करते हैं कि ये सब करना उनका कर्तव्य था लेकिन मां –बाप के प्रति हमारी यह धारणा क्या सही है, शायद नहीं। मां–बाप हमारे लिए एक माली के समान हैं तथा हम उनकी बगिया है। माली अपने हाथों से एक पौधा लगाता है तथा उस पौधे का पूरा ध्यान रख कर इसे एक फलदायी व उपयोगी वृक्ष बनाने में जुटा रहता है, यह सोच कर कि एक दिन यह वृक्ष बड़ा होगा जिसकी छांव में वह (माली) सुकून से अपने बुढ़ापे को व्यतीत करेगा। क्या आप जानते हैं कि वह माली और वृक्ष कौन हैं? हमारे मां–बाप। परिवार में बडें बुजुर्गों की उपस्थिति सभी सदस्यों को मर्यादित व संस्कारी बनाती है। इस विषय में यदि यह कथन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगीः "पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में रहने दो, फल न सही, छांव तो अवश्य देगा।"

उसी प्रकार माता–पिता बूढ़े ही सही लेकिन उन्हें घर में ही रहने दो। वे दौलत तो नहीं दे सकते लेकिन आपके बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य दे सकते हैं। आज हम आधुनिकता का सही अर्थ ग्रहण नहीं कर सके। हम केवल आधुनिकता में "यूज एंड थ्रो" के सिद्धांत को अपना रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को रिश्ते घर में प्रयोग होने वाली वस्तु लगने लगे हैं। आज वृद्धाश्रम बुजुर्गों से भरे पड़े हैं, उनकी तरसती निगाह किसी का इंतजार कर रही हैं कि शायद उनसे मिलने कोई अपना आ जाए। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, केवल सहानुभूति चाहिए, अपनापन चाहिए लेकिन हजारों में शायद ही कोई विरला होता है जो अंजान व बेनाम मौत की गोद में न जाए।

पारिवारिक संबंधों के बिखरने या टूटने के कई कारण हो सकते हैं। मसलन, नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी। पुरानी पीढ़ी के लोग पुरानी रीति रिवाजों के साथ बंधें होते हैं तथा पुराने संस्कारों से जुड़े होते हैं जबकि नई पीढ़ी इन बातों को बहुत तवज्जो नहीं देती है और न ही उन्हें मानना चाहती है। परिणामस्वरूप दोनों पीढ़ी के लोगों में मतभेद उत्पन्न होता है यदि दोनों में से कोई भी पीछे न हटे तो रिश्तों में दरार आने लगती है।

आज के युवा वर्ग की अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं। उनका मानना है कि घर के बड़े बुजुर्ग उनकी आकांक्षाओं को न तो समझते हैं और न तबज्जो देते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों पीढ़ी के बीच एक ऐसी खाई उत्पन्न हो जाती है, जिसे पाटना आसान नहीं होता और संबंधों में बिखराव की स्थिति पैदा होने लगती है। युवा वर्ग निजी जिदंगी में किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि आज के युवाओं का रुझान एकल परिवार की ओर बढ़ता जा रहा है और संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है।

आपसी वैमनस्यता भी टूटते पारिवारिक संबंधों का प्रमुख कारण है। आज स्पर्धा के युग में परिवार के सभी सदस्यों में आगे बढ़ने की होड़ रहती है। फलस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच ईर्ष्या–द्वेष की भावना उत्पन्न होती है जो परिवार को विघटन के कगार पर ले जाती है। आज का युवा वर्ग भावनात्मक रूप से कमजोर होता जा रहा है। मां–बाप, भाई–बहन, बेटे–बेटियां यहां तक कि पति–पत्नी में भी दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि भावना रूपी रस्सी की डोर हर उम्र के लोगों में कमजोर पड़ती जा रही है। लोग फेसबुक पर तो दुनिया से जुड़ रहे हैं लेकिन अपने आस–पास स्थित करीबी लोगों से दूर होते जा रहे हैं।

आर्थिक स्वतंत्रता भी पारिवारिक मिठास को कम करने का प्रमुख कारण है। आज स्त्रियां घर तक सीमित नहीं रह गई हैं। हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। आर्थिक स्वावलंबन के कारण वे किसी के सामने झुकना नहीं चाहती। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें किसी सूरज–ए–हाल किसी की सत्ता स्वीकार नहीं है। आज मनोरजंन के साधन और विकल्प इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों की एक–दूसरे पर निर्भरता कम हो गई है। जो लोग एक–दूसरे के साथ उठने –बैठने में खुश खोजा करते थे, वे आजकल टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि में खुशी ढूंढ रहे हैं। इसलिए मनुष्य के लिए मनुष्य की उपयोगिता कम और तकनीकी उपयोगिता बढ़ गई है। अब रिश्तेदार पास न हों तो चलेगा लेकिन आधा घंटे के लिए नेट कनेक्शन कट जाए तो मन व्याकुल हो जाता है। शायद इंसानों का मशीनीकरण हो रहा है।

पहले घर के बड़े बुजुर्ग परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए सेतु का काम करते थे। वे परिवार के सदस्रों को समझा–बुझाकर एक कर देत थे लेकिन आज घर में बुजुर्गो को उतना सम्मान नहीं मिल पाता है, जितना पहले था। रातों रात सफलता के शिखर पर पहुंचने की लालसा, खून के रिश्तों में बिखराव, आपसी संवादहीनता, खालीपन एवं रिश्तों में आई ठंडक सामाजिक और पारिवारिक विघटन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। दरअसल, संबंध खरीदे नहीं जा सकते। संबंध तो केवल जिये जा सकत हैं, निभाए जा सकते हैं और सहेजे जा सकते हैं। हमारा समाज संबंधों का ताना–बाना है, जिस पर हम अपने आस–पास कई रिश्ते बुनते हैं। रिश्ता बनाना और निभाना कपड़े बुनने जैसी प्रक्रिया नहीं है। अगर कपड़ों में गांठ पड़ जाए तो बनकर बड़ी सफाई से इसे छिपा देता है लेकिन अगर रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो ताउम्र यह खुल नहीं पाती है। टूटते परिवार और दरकते रिश्ते की समस्या से निजात पाने के लिए हमें युवा वर्ग में संयुक्त परिवार की महत्ता एवं भाईचारे की भावना पैदा करनी होगी। संयुक्त परिवार से ही संयुक्त समाज का निर्माण संभव है।

अशिक्षा और स्वार्थ की सोच रखने वालों के मन में यह धारणा बन जाती है कि वे खुद कमाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। यह भाव मन में आ जाने पर संयुक्त परिवार विघटन की तरफ अग्रसर हो जाता है। लोगों के मन में ऐसा भाव आने पर परिवार बिखर जाता है। कोई नगरों की तरफ पलायन करता है तो कोई मूल परिवार से अलग हटकर आशियाना बना लेता है। अब ऐसे परिवारों की भरमार सी होती जा रही है।

भौतिकवाद ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है। जब यह बढ़ता है तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप में आ जाता है। वह महत्वाकांक्षा पाने की कोशिश करता है। परिणामतः संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। सामाजिक तौर पर मुख्य कर्ता की निरंकुशता, स्त्रियों की दुर्दशा, गतिशीलता में बाधा भी इसका कारण है।

संयुक्त परिवारों का विघटन रोकने के लिए सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाना भी जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा प्राप्त अनुभवों का संचरण, अनुशासन की सीख जैसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए निराश्रितों की रक्षा करनी होगी।

ॐ कहो गर्व से, हम हिन्दू हैं ॐ

शेष पृष्ठ 1 का

सुरक्षाबलों ने मार गिराया.....

हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काटपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर शाम को सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल के जवान जब तलाशी अभियान चला रहे थे तभी आतंकवादियों की ओर से उन पर गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसमें दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुआ है। बता दें, जम्मू–कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास हुए विस्फोट में एक मेजर और एक जवान शहीद हो गया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में आईईडी धमाका हुआ। जम्मू–कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में हुए एक आईईडी विस्फोट में सेना के एक मेजर और एक सैनिक शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के लाम क्षेत्र में नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में गश्त करने वाले सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए एक आईईडी लगाई थी। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में एक मेजर सहित दो सैन्यकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों को एक अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. इसके बाद सेना के जवानों को आईईडी विस्फोटों और पाकिस्तानी सेना की बार्डर एक्शन टीम (बैट) द्वारा हमले के बारे में अलर्ट किया गया है। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने केन्द्र की राजग सरकार से मांग की है कि जम्मू–कसमीर से आंतकवाद का पूर्ण सफाया हो तथा सीमा पार घुसपैठ पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाये।

शेष पृष्ठ 8 का

लाला लाजपत राय २८ जनवरी.....

कार्य में लग गये। जून १६१० में इंग्लैंड के कैक्टसन हॉल में शासित जातियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें फिनलैण्ड, जार्जिया, मोरक्को, फारस, पोलैण्ड और मिस्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से लाला लाजपतराय सम्मिलित हुए। सन १६१४ में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आप इंग्लैंड गये तथा अपने मार्मिक भाषणों के द्वारा लोगों के मनों में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की। अक्टूबर, १६१७ में 'इण्डिया होम रूल लीग' की स्थापना की गई। लालाजी उसके प्रधान बनाये गये। जनवरी १६१८ में लालाजी के सम्पादकत्व में 'यंग इण्डिया' निकाली गई। लालाजी १६२० में भारत लौटकर आये। कांग्रेस के कलकत्ता में आपको अध्यक्ष चुना गया। गाँधी जी द्वारा चलाये गये सविनय अवज्ञा आन्दोलन में आप को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। आपने १६२५ में 'सर्वेण्ट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी' (लोक सेवा मण्डल) की स्थापना कर 'पीपुल' नामक प्रसिद्ध पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया।

३० अक्टूबर, १६२८ को 'साइमन कमीशन' लाहौर में रेलवे स्टेशन पर उतरा। कांग्रेस की ओर से कमीशन का विरोध करने की घोषणा की गई थी। हजारों आदमी लालाजी के नेतृत्व में स्टेशन पर काले झण्डे लेकर पहुँचे। पुलिस अधिकारियों ने जुलूस को तितर–बितर होने की चेतावनी दी; किन्तु लालाजी के नेतृत्व में जनता डटी रही। पुलिस ने निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। किसी का सिर फूटा तो किसी की टाँग टूटी। सैकड़ों घायल हुए। लालाजी को तो ऐसी चोट लगी कि फिर न उठ सके और १६ नवम्बर, १६२८ को सुबह ७ बजे आप हमें बलिदानों का रास्ता दिखाकर चले गये। लालाजी की मौत से हजारों लोग प्रेरित हुए। क्रान्तिकारी युवकों ने लालाजी की मौत का बदला भी लिया। स्वतन्त्रता की चिंगारी आग बनकर जलने लगी और उन्नीस वर्ष के अन्दर अंग्रेजों को मजबूरन भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ा। आज हमारे बीच में लालाजी भले ही न हों उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग अभी भी हमारे सामने है। भारत ने राजनीतिक आजादी भले ही प्राप्त कर ली हो; किन्तु आज भी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हम आजाद नहीं हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी भयंकर समस्याएँ मुँह बाये खड़ीं हैं। आजादी के सात दशक पूरे होने को हैं, किन्तु हम अभी तक जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं कर पाये हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर त्याग, समर्पण, लगन, कर्मठता को अपने आचरण में उतार कर ही हम भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक उन्नयन के साथ, भारत को विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा लेकर हम अपने दम पर ही भारत का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म व अपनी शिक्षा–संस्थाओं को आधार बनाकर, सभी भारतवासियों के सहयोग से, बिना विदेशी कर्ज व विदेशी निवेश के अपने देश को गौरवपूर्ण स्थान दिला सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है तो इस बात की कि हम लालाजी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने आप को देश–धर्म व समाज के हित के लिए समर्पित करना सीखें। अपना सब कुछ अर्पण करने की भावना को जन–जन में जगायें। हमारे जो नेता देश व जनता की सेवा की बात करके कुर्सी पर पहुँचते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों को समझने के लिए लालाजी की जीवनी से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए।

शेष पृष्ठ 6 का

अदालतों का पदक्रम.....

अदालतों से आई अपीलों की सुनवाई करना है और अनुच्छेद २२६ के तहत लेख याचिकाओं के मुकदमों की कार्रवाई करनी है।

उच्चतम न्यायालय

यह संविधान के भाग ५ के अध्याय ६ के द्वारा स्थापित देश की सबसे ऊपरी अदालत है। इसकी संधीय अदालत, संविधान के संरक्षक और सबसे बड़ी अपीली अदालत के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुच्छेद १२४–१४७ उच्चतम न्यायालय के संघीय न्यायपालिका से सम्बन्धित है। उच्चतम न्यायालय देश की शीर्षस्थ अदालत है जो देश के संविधान और कानूनों की अंतिम रूप से व्याख्या करती है। भारतीय भूभाग के अन्दर उच्चतम न्यायालय के फैसले या सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं (अनुच्छेद १४१)। याचिकाओं की सुनवाई के लिए इसके पास कई न्यायाधीशों की पीठ है और इसके फैसलों को बदला नहीं जा सकता यानि किसी और अदालत में इसके फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद १२४–१२८ मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यता, कार्यकाल, पद पर से हटाये जाने, वेतन और भक्तों, कार्यकारी न्यायमूर्ति, अस्थायी न्यायधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की हाजिरी, यदि किसी मामले में आवश्यकता हुई, से सम्बन्धित है। संविधान द्वारा दिए गए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं:

१. लेख (रिट) अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद ३२)
२. अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद १२६)
३. मौलिक अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद १३१)
४. अपीली अधिकार क्षेत्र
५. संवैधानिक मामलों में (अनुच्छेद १३२)
६. नागरिक मामलों में (अनुच्छेद १३३)
७. आपराधिक मामलों में (अनुच्छेद १३४)
८. विशेष अवकाश द्वारा अपील (अनुच्छेद १३६)
९. रांघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद १३५)
१०. पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र (अनुच्छेद १३७)
११. परामर्श अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद १४३)

सर्वोच्च न्यायालयः ई-फाइलिंग की सुविधा वाली देश की पहली अदालत।

दुनियाँ के किसी भी कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति/याचिकाकर्ता या अभिलेख में दर्ज वकील सर्वोच्च न्यायालय में इन्टरनेट के जरिये अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ई–फाइलिंग के लिए चरण–दर–चरण मार्गदर्शिका उपलब्ध है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय में १३ प्रतियाँ जमा करनी होती हैं तो नियत अदालत का शुल्क जमा करना मुमकिन है और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समर्थित वीसा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिये रुपये १.५० प्रति पृष्ठ के हिसाब से आवश्यक प्रतियों का प्रिंट लिया जा सकता है। इसमें कोई अदालती शुल्क या प्रक्रिया शुल्क जैसा कोई अतिरक्त शुल्क नहीं है। हालाँकि याचिकाकर्ता को अपनी पहचान के लिए मतदाता पहचानपत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पहचान पत्र जमा कराने होंगे। अभिलेख में दर्ज वकील को शीर्ष अदालत की पंजी से पासवर्ड दिया जायेगा।

संघीय अदालत के रूप में उच्चतम न्यायालय दो राज्यों तथा राज्य सरकार और केन्द्र के बीच के विवादों को सुलझाता है। अपने परामर्शकार के रूप में यह राष्ट्रपति को विभिन्न मसलों पर मांगे जाने पर राय–मशवरा दे सकता है। इसके पस ५–७ न्यायाधीशों वाली सबसे बड़ी न्यायपीठ होती है जिसे संविधान न्यायपीठ कहते हैं। देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशों के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की निगरानी में काम करते हैं। अमरीकी उच्चतम न्यायालय की ही तरह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति है।

हिन्दुत्व विज्ञान की आध्यात्मिक व्याख्या है

शेष पृष्ठ 4 का **स्वास्थ्यप्रद सोयाबीन.....**

को बनाये रखते हैं। साथ ही रक्तचाप को भी नियन्त्रित रखते हैं। आयरन की उपस्थिति रक्त निर्माण में सहायक होती है। सोयाबीन में पाये जाने वाला पदार्थ आइसोफ्लेविन महिलाओं से सम्बन्धित रोगों, स्तन कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। सोयाबीन में उपस्थित प्रोटीन शरीर के विकास, वृद्धि में सहायक होती है। सोयाबीन में वसा नहीं होता है। अतः यह लाभप्रद है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सोयाबीन का उपयोग करना शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान रहे अधिकता हानिप्रद होती है। अतः नियमित समुचित मात्रा में सेवन करना ही लाभप्रदन होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साहस्फूर्ति प्रदान करता है। कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा भी मिलती है। जीवन में रंगीनियाँ आती हैं। रोगी होने पर जीवन नीरस हो जाता है। तब जीवन अभिशाप बन जाता है।

शेष पृष्ठ 5 का **बायो टॉयलेट किसे.....**

पटरियों की धातु को नुकसान पहुँचता था। अब ऐसा नहीं होगा।

२. फ्लश टायलेट्स को एक बार इस्तेमाल करने पर कम से कम १० से १५ लीटर पानी खर्च होता था जबकि वैक्यूम आधारित बॉयो टॉयलेट एक फ्लश में करीब आध लीटर पानी ही इस्तेमाल होता है।

३. भारत के स्टेशन अब साफ सुथरे और बदबू रहित हो जायेंगे जो कि कई बीमारियों को रोकने की दिशा में अच्छा कदम है।

४. स्टेशन पर मच्छर, कॉकरोच और चूहों की संख्या में कमी जाएगी।

५. बायो टॉयलेट्स के इस्तेमाल से मानव मल को हाथ से उठाने वाले लोगों को इस गंदे काम से मुक्ति मिल जाएगी।

यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि दुनियाँ के लगभग ५०: लोगों के पास पिट लैट्रिप (गड्ढे वाली लैट्रिन) है जहाँ मल नीचे गड्ढे में इकट्ठा होता है। आँकड़ों के अनुसार इनमें से अधिकतर पिट लैट्रिन से मल रिस–रिस कर जमीन में जाता है जिससे पीने वाला पानी प्रदूषित हो रहा है। फ्लश लैट्रिन की एक समस्या यह भी है कि इसकी मल सामग्री का ६५ प्रतिशत से अधिक भाग आज भी बगैर किसी ट्रीटमेंट के नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुँच जाता है। इस लेख को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि बायो टॉयलेट्स का बढ़ता प्रयोग न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यह आगे आने वाले समय की जरूरत भी है।

-: तत्काल ग्राहक बनें :-

सदस्यता शुल्क

वार्षिक.....150/- रुपये

द्विवार्षिक.....300/- रुपये

आजीवन सदस्य.....1500/- रूपये

ड्राफ्ट या मनीआर्डर

''हिन्दू सभा वार्ता'' के नाम भेजें।

पता :- हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

नोट :- केवल स्थानीय चैक स्वीकार किये जाते हैं।

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

विशेषतायें जो अन्यत्र नहीं मिलतीं

1. पत्रकारिता के उच्च राष्ट्रनिष्ठ मानकों के लिए प्रतिबद्धता
2. राष्ट्र और हिन्दुत्व को हानि पहुँचाने वाले कारकों पर पैनी दृष्टि
3. साम्प्रदायिक और पृथकतावादी सोच पर जमकर प्रहार
4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा
5. सामाजिक सरोकारों की तह तक जाकर समाधानपरक बहस
6. प्रेरक प्रसंग, महान् व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का माध्यम
7. भ्रष्टाचार, अपराध और अंर्तराष्ट्रीय चिंतन पर तीखा आक्रमण

हमारा संकल्प

1. हम एक ऐसी समतामुलक राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं जहां निर्धनता का अभिशाप न हो, किसी का शोषण न हो, न्याय वनपशुओं की चेरी न बने, सब समान हों, एक दूसरे के सहयोगी हों।
2. हम एक ऐसी संस्कृतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं जिसमें हिन्दुत्व के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिससे कि हिंसा, पाप, शोषण, विषमता और संवेदनहीनता की कालिमा से विश्व को मुक्ति मिलें।

केवल इतना ही नही, अन्य भी बहुत सी जीवनोपयोगी सामग्री।
आपका साप्ताहिक, आपकी भावनाओं का दर्पण।

शेष पृष्ठ 7 का **हिन्दुओं के बाहुल्य पर.....**

हो या मिजोरम हो या नागालैंड हो। इसी संस्कृति ने हमें देश के धर्म पर आधारित विभाजन के उपरांत भी मुस्लिमों के यहाँ रहने का सम्मान करने की प्रेरणा दी,हमारे देश में हिन्दुओं के प्रबल बहुमत के उपरांत वहाँ अहिंदू समाज के लोग सर्वोच्च पदों पर आसीन हुए है, देश में अहिंदू न मात्र एकाधिक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, बल्कि उन्हें भरपूर लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है।

विचार कर देखें कि क्या हम अमेरिका या किसी भी ईसाई बहुल देश में गैर ईसाई के राष्ट्र प्रमुख चुने जाने की कल्पना भी कर सकते हैं? अधिक तो क्या कहें, क्या हम नागालैंड या कश्मीर में किसी हिन्दू के मुख्यमंत्री चुने जाने की कल्पना कर सकते हैं? जबकि हमने कितने ही हिन्दू बहुत राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री चुने हैं। उदाहरण स्वरूप बताएं तो सैयदा अनवरा तैमुर १९८० में असम की मुख्यमंत्री चुनी गई। इसी प्रकार बिहार में अब्दुल गफूर, केरल में मोहम्मद कोया, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले और राजस्थान में बरकतुअल्ला खान मुख्यमंत्री रहे, जबकि कश्मीर में कभी कोई हिन्दू मुख्यमंत्री नहीं बन सका।

हिन्दुओं के बाहुल्य पर संकट : एक बात हमारे ध्यान में आती है। भारत की जनसंख्या में हिंदुआं का अनुपात लगातार घट रहा है और अहिन्दुओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। १९५१ मे हिन्दू ८४.१० प्रतिशत और मुस्लिम ९.८०: थे। २०११ में हिन्दू ७९.८० प्रतिशत और मुस्लिम १४.२३ प्रतिशत हो गए हैं। निःसंदेह भारत में हिन्दुओं का घटता अनुपात बड़ा डरावना है। अनुभव यह कहता है कि जिस जगह हिन्दू घटेगा, वहां वहां से देश कटेगा। पूर्व में अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और हाल ही में पाकिस्तान इसका उदाहरण है। दंगे उन्हीं स्थानों पर होते हैं जहाँ अहिंदू थोड़ी अच्छी संख्या में हैं– जैसे मेरठ, मुजफरनगर, बनारस, अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, भागलपुर, भोपाल आदि। ऐसे ही जहाँ एक अन्य अहिन्दू संप्रदाय बड़ी संख्या में बढ़ रहा है जैसे ओडिशा के फूलबानी/ गजपति जिले में वहाँ भी दंगे हाल में दिखने को मिले है। अतः इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर भारत में हिन्दू अल्पसंख्यक हो गया तो भारत से धर्मनिरपेक्षता, उदारवादी, समाप्त हो जायेंगे। साथ ही हिन्दू के अलपसंख्यक होने के बाद हिन्दुओं का वैसे ही सफाया कर दिया जा सकता है जैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश में कर दिया गया है, या जैसे अमरीका, ऑस्ट्रेलिया में वहां के मूल धर्मावलम्बियों का कर दिया गया था।

क्या अहिंदुओं को हिन्दू बनाना नैतिकता की दृष्टि से ठीक होगा? वैसे भी भारत में रहने वाले लगभग सभी अहिन्दू कनवर्टड हैं। किसी समय आक्रांताओं के दबाव में अथवा अनुचित प्रभाव में आकर इन्होंने मत परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार ये हमारे भटके हुए भाई ही हैं। इन्हें अपने मूल धर्म में वापस लाना हमारा नैतिक कर्तव्य एवं अधिकार दोनों हैं। अतः इस पवित्र कार्य में भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा निरंतर ६५ वर्षों से एतिहासिक कार्य कर रही है, तो आइए हम भी अपना एक योगदान निश्चित कर अपने भाईयों को विधर्मी होने से बचाएँ।

शेष पृष्ठ 2 का **सुख करनी दुःख हरनी.....**

सम्राट परमार भोज के समय का समरांगण सूत्रधार जैसा प्रसिद्ध वृहद वास्तु ग्रंथ व विमानन ग्रंथ गौ रूप में पृथ्वी ब्रम्हादि के समागम, संवाद से ही आरंभ होता है। वास्तु ग्रंथ मयमतम् में कहा गया है कि भवन निर्माण के शुभारंभ से पूर्व उस भूमि पर सवत्सा यानी बछड़े वाली गाय को लाकर बांधना चाहिए। नवजात बछड़े को जब गाय दुलाकर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता वास्तु प्रदीप, अपराजित पृच्छा आदि में भी आई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक संस लेती है, उस स्थान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में गाय पाप संहारक, वास्तु दोष निवारक हैं। भारत वर्ष में गाय 'गऊ' सदा से घर परिवार की सदस्य रही है, उसे परिवार का अंग माना गया है। उसकी आरती उतारी गई है हर कर्मकांड में उसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। जबसे भारतीयों ने गाय को घर–परिवार से विस्थापित किया है, वे अनेक कष्टों से घिरे हैं। गाय जिस परिवार में रहती है, उस परिवार से अत्यंत प्रेम करती है। परिवार के प्रत्येक सुख–दुख का अनुभव करती है।

शेष पृष्ठ 1 का **कुंभ मेले में १२ करोड़.....**

२०१९ का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है। खन्ना ने भारत सरकार द्वारा प्रयागराज में एक नए नागरिक हवाई अड्डे का निर्माण कर उड़ानों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि के प्रयासों का प्रदर्शन किया। कुंभ में देश के हर सांस्कृतिक संकाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ३० विषयगत द्वारों, २०० से अधिक उच्च उत्तम दर्जे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक विषयों पर लेजर शो, खान–पान के क्षेत्र, विक्रय क्षेत्र, प्रदर्शनियों और पर्यटकों की सैर की व्यवस्था की जा रही है। प्रमुख स्थानों पर विशाल लाइटिंग भी की जा रही है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए कला ग्राम और संस्कृत ग्राम भी बनाए जा रहे हैं। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कहा है कि कुंभ भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। दूनिया के किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में इतने लोग सम्मिलित नहीं होते हैं। यह हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की शान है।

विज्ञापन हेतु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डी.ए.वी. नं.-124778
नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट करने का दिन बुधवार - बृहस्पतिवार

डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)-11/6129/2019-20-21
रजि सं. 29007/77

12 साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता निष्कर्ष दिनांक 23 जनवरी से 29 जनवरी 2019 तक

यह भी सच है

राजनीति का हिन्दूकरण, हिन्दुओं का सैनिकीकरण, सैनिकों का आधुनिकीकरण

सादर आमंत्रण

अखिल भारत हिन्दू महासभा, दिल्ली प्रदेश

के तत्वावधान में

बालवीर हकीकत राय

बलिदान दिवस समारोह 2019

हिन्दू वीरों का सम्मान एवं बाल प्रतिभा खोज समारोह

सांस्कृतिक कार्यक्रम	:	स्कूलों के बच्चों द्वारा राष्ट्रवाद पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण
अध्यक्षता	:	श्री चन्द्र प्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिन्दू महासभा
विशिष्ट अतिथि	:	श्री मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारत हिन्दू महासभा

दिन व तिथि	:	रविवार, 10 फरवरी 2019, बसंत पचंमी
समय	:	प्रातः 10:00 बजे से
प्रसाद व भोजन	:	दोपहर 01:30 बजे
स्थान	:	हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001 (निकट बिड़ला मंदिर)

आपसे अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय व धार्मिक कार्यक्रम में सपरिवार व मित्रों सहित समय से पधारने की कृपा करें।

निवेदक

सुनील कुमार
प्रदेश अध्यक्ष

वीरेश त्यागी
प्रदेश महामंत्री

अखिल भारत हिन्दू महासभा, दिल्ली प्रदेश
कार्यालय : हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली -110001
दूरभाष : 011-23365138, 23365354
Email : info@akhilbharathindumahasabha.org
akhilbharat_hindumahasabha@yahoo,com
Website : www.akhilbharathindumahasabha.org

कबिरा खड़ा बजार में

आर्थिक आरक्षण सिर्फ राजनैतिक नहीं वास्तविक भी

सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए केंद्र द्वारा लाया गया १० प्रतिशत आरक्षण यदि महज राजनीतिक फायदे के लिए है तो निःसंदेह यह छल होगा लेकिन वास्तव में तब, जबकि जाति आधारित आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है तो इसकी आवश्यकता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मोदी का यह कदम न सिर्फ उनकी पार्टी के लिए सियासी रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि समाज में भी कई बदलाव लाएगा। संसदीय राजनीति में कम ही ऐसे अवसर आते हैं, जब सत्तारूढ़ दल संविधान संशोधन जैसा कदम उठाए और उसके राजनीतिक विरोधियों के पास उसका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प ही न हो। सवाल है कि फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को गैर-आरक्षित हिंदू, मुसलमान, ईसाई और दूसरे समुदायों के लिए दस फीसदी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था कराने से चुनावी लाभ क्यों मिलेगा? पहली बात तो यह कि संविधान बनाते समय जब दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तो उस पर एक राजनीतिक सर्वानुमति थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के समय ऐसा नहीं था। उस समय सभी पार्टियां संशय में थीं कि किसको राजनीतिक फायदा होगा और किसको नुकसान। वीपी सिंह को लगा कि वह जनता दल के लिए एक स्थायी वोट बैंक बना रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा को लगा कि उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रखने का इंतजाम हो रहा है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के समय सवर्णों में भारी नाराजगी थी। उन्हें लग रहा था कि उनसे कुछ छीनकर पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग को लग रहा था कि उन्हें उनका संवैधानिक हक देर से ही सही, मिल रहा है। सवर्णों को लगा कि एक झटके में उनके लिए २७ फीसदी अवसर कम हो गए। सवर्णों के इस आरक्षण की व्यवस्था में किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा है। इसलिए विपक्षी दल इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ लालू यादव के राजद ने अपना यादव-मुस्लिम जनाधार एकजुट करने के लिए इसका विरोध किया। एक आकलन के मुताबिक नई व्यवस्था से सभी वर्गों के करीब १६ करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। आरक्षण का मुद्दा देश में सामाजिक वैमनस्य का कारण बनता जा रहा था। देश में दो वर्ग बन गए थे। एक, जिसे आरक्षण का लाभ मिला है और दूसरा, जो इससे वंचित है। आजादी के बाद या उससे पहले से ही समाज के वंचित वर्गों में सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर जाने की होड़ थी। आरक्षित वर्ग में शामिल होना सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से कमतर माना जाता था, लेकिन पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बाद से माहौल बदल गया। आज समाज का हर तबका आरक्षित वर्ग में शामिल होने के लिए आतुर है। १२४वें संविधान संशोधन से उसकी यह समस्या हल हो जाएगी, इसके आसार दिख रहे हैं। आर्थिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इसमें किसी जाति, धर्म या क्षेत्र से भेदभाव नहीं किया गया है। अब लोगों की निगाह इसके लागू होने पर है।

वीरेश त्यागी
E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org

नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट की गई डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)-11/6129/2019-20-21
रजि सं. 29007/77
साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता
दिनांक 23 जनवरी से 29 जनवरी 2019 तक

प्राप्तेषु

स्वत्वाधिकारी अखिल भारत हिन्दू महासभा के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मुन्ना कुमार शर्मा द्वारा स्कैन 'एन' प्रिन्ट, 115, कीर्ति नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली मुद्रित तथा हिन्दू महासभा भवन, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित। दूरभाष 011-23365138, 011-23365354
E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org
सम्पादक : मुन्ना कुमार शर्मा, प्रबंध सम्पादक : वीरेश कुमार त्यागी
इस पत्र में प्रकाशित लेख व समाचारों की सहभागिता, संपादक-प्रकाशक की नहीं है। सम्पूर्ण विवादों का न्यायिक क्षेत्र नई दिल्ली है।